साझा (कॉमन) सीट नियतन प्रणाली - 2022

दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु

शैक्षणिक
सत्र
2022-23

अस्वीकरण

दिल्ली विश्वविद्यालय बिना किसी पूर्व सूचना के कॉमन सीट नियतन प्रणाली-2022 (सीएसएएस-2022) के किसी भी हिस्से को परिशोधित करने, संशोधित करने अथवा हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस प्रकार किए गए किसी भी परिवर्तन को दिल्ली विश्वविद्यालय (यूओडी) की प्रवेश (एडमिशन) वेबसाइट पर अद्यतन किया जाएगा। सीएसएएस-2022 दस्तावेज जारी होने के बाद नियतन नियमों में कोई भी परिवर्तन प्रवेश वेबसाइट www.admission.uod.ac.in पर पोस्ट किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

जहाँ तक संभव हो इस दस्तावेज़ में नियमों और विनियमों के प्रामाणिक, आधिकारिक संस्करण और अतिरिक्त प्रासंगिक जानकारी को पुन: प्रस्तुत में उचित सावधानी बरती गई है। हालांकि, इसे किसी भी मामले में संदर्भ के रूप में प्रदान की गई जानकारी की पूर्णता और सटीकता के संबंध में वारंटी, व्यक्त अथवा निहित के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रदत्त जानकारी के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई से होने वाले किसी भी नुकसान अथवा क्षति के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी दायित्व को अस्वीकार करता है। प्रवेश वेबसाइट, यूजी बीओआई-2022 और सीएसएएस-2022 दस्तावेज़ में कोई त्रुटि अनजाने में हुई चूक और/अथवा किसी अन्य कारण से हो सकती है। यह अस्वीकरण सीएसएएस-2022 के प्रत्येक भाग पर लागू होगा, जिसमें वेबसाइट पर अधिसूचित सभी अधिसूचनाएँ, शुद्धिपत्र, संशोधन, परिशिष्ट और विनियम शामिल हैं तथा इसमें संलग्न अथवा निहित हैं।

अपडेट, दिशा-निर्देश, शेड्यूल और प्रवेश संबंधी नीतियों के लिए अभ्यर्थी नियमित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट की जांच करने के लिए जिम्मेदार है।

सीएसएएस-2022 के तहत प्रवेश के संबंध में कोई भी मुद्दा / विवाद केवल दिल्ली न्यायालयों के क्षेत्रीय और विषयवस्तु क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी होगा।

स्नातक (यूजी) प्रवेश-2022 के संबंध में अधिसूचनाओं और अपडेट के लिए कृपया www.admission.uod.ac.in देखें।

विषय-सूची

अध्याय 1	सामान्य जानकारी	4
अध्याय 2	साझा (कॉमन) सीट नियतन प्रणाली के बारे में जानकारी (सीएसएएस-2022)	6
अध्याय 3	सीएसएएस-2022 आवेदन पत्र	8
अध्याय 4	प्रेफ्रेन्स फिलिंग (वरीयता का उल्लेख करना)	11
अध्याय 5	आवंटन नियम	13
अध्याय 6	सीट आवंटन और प्रवेश	14
अध्याय 7	आवंटन के अनुवर्ती दौर	16
अध्याय 8	अपग्रेड करें या फ्रीज करें	17
अध्याय 9	अनंतिम रूप से आवंटित सीट/प्रवेश रद्द करना	18
अध्याय 10	अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश वापस लेना	19
अध्याय 11	मिड-एंट्री	20
अध्याय 12	स्पॉट एडमिशन	21
अध्याय 13	टाई-ब्रेकिंग नियम	22
अध्याय 14	शुल्क का प्रेषण	23
अध्याय 15	भुगतान वापसी की नीति	24
अध्याय 16	मूल दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन की अनिवार्य अपेक्षा	25
अध्याय 17	बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में परिवर्तन	26
अध्याय 18	अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्रवेश	27
अध्याय 19	प्रवेश शिकायत निवारण समिति	28
अध्याय 20	प्रदर्शन आधारित प्रोग्रामों में प्रवेशः बी.ए. (ऑनर्स) संगीत और बी.एससी. (शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल)	29
अध्याय 21	पाठ्येतर कार्यकलाप (ईसीए) और खेलकूद के आधार पर प्रवेश (सुपरन्यूमररी कोटा)	36
अध्याय 22	अन्य सुपरन्यूमररी कोटा पर प्रवेश	48
	अनुलग्नक-I: बोर्डों की समतुल्यता	50
	अनुलग्नक-II: ग्रेड परिवर्तन	51
	अनुलग्नक-III: आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची	52
	अनुलग्नक-IV: प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रारूप	54

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एआईयू	भारतीय विश्वविद्यालय संघ
सीबीएसई	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीईएम	संयुक्त ईसीए मेरिट
सीएसएएस	कॉमन सीट नियतन प्रणाली
सीएसएम	संयुक्त ईसीए मेरिट
सीएसएम	संयुक्त खेल योग्यता
सीयूईटी (यूजी)	साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा - स्नातक
डीएसजीएमसी	दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी
ईसीए	पाठ्येतर गतिविधियाँ
ईडब्ल्यूएस	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
एमओई	शिक्षा मंत्रालय
एनसीडब्ल्यूईबी	गैर कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड
एनटीए	राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी
ओबीसी-एनसीएल	अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर-क्रीमी लेयर
पीडब्ल्यूबीडी	बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति
एससी	अनुसूचित जाति
एसटी	अनुसूचित जनजाति
यूजी	स्नातक
यूजी बीओआई	स्नातक सूचना बुलेटिन
यूओडी	दिल्ली विश्वविद्यालय
यूआर	अनारक्षित

अध्याय-1
सामान्य जानकारी

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपने महाविद्यालयों के माध्यम से विभिन्न संकायों, अर्थात् कला, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी, शिक्षा, अंतःविषय और अनुप्रयुक्त विज्ञान, संगीत, वाणिज्य और व्यवसाय अध्ययन, गणितीय विज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के तहत अध्ययन की विभिन्न शाखाओं (स्ट्रीम्स) में स्नातक (यूजी) प्रोग्राम कराए जाते हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट, स्नातक बुलेटिन जानकारी-2022 (यूजी-बीओआई) और कॉमन सीट नियतन प्रणाली-2022 (सीएसएएस) में निर्दिष्ट अपेक्षित पात्रता, मानदंडों और प्रक्रियाओं के आधार पर सभी यूजी प्रोग्रामों में प्रवेश किया जाता है।

यूजी बुलेटिन जानकारी-2022 (यूजी बीओआई-2022) (विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट admission.uod.ac.in पर उपलब्ध) में यूजी स्तर पर पेश किए जाने वाले प्रत्येक प्रोग्राम के लिए पात्रता मानदंड को प्रकाशित किया गया है। उम्मीदवारों को यूजी बीओआई-2022 और प्रवेश वेबसाइट से पात्रता मानदंड को ध्यान से देखना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित अपनी वेबसाइट, यूजी बीओआई-2022 और सीएसएएस-2022 के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित के अलावा कोई अतिरिक्त पात्रता मानदंड नहीं हैं।

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी यूजी प्रोग्रामों में प्रवेश साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा- स्नातक 2022 (सीयूईटी (यू.जी)-2022) के आधार पर किया जाएगा।

1. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा सीयूईटी (यूजी)-2022 आयोजित किया जाता है। अभ्यर्थी ध्यान दें कि एनटीए की भूमिका सीयूईटी (यूजी)-2022 के आयोजन, परिणामों की घोषणा और प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को हैंडल करने तक सीमित है। केवल सीयूईटी (यूजी)-2022 में उपस्थित होना दिल्ली विश्वविद्यालय में सीट सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त शर्त नहीं होगी। एक अभ्यर्थी को दिल्ली विश्वविद्यालय यूजी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए सीएसएएस-2022 में आवेदन करना होगा।
2. आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह यू.जी बीओआई-2022 और सीएसएएस-2022 की सामग्री को ध्यान से पढ़ें, और दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम-1922, इसके संशोधनों और संविधियों से परामर्श करें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in पर उपलब्ध दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश, नियम, विनियम और अधिसूचनाएं अंतिम और बाध्यकारी होंगी।
3. दिल्ली विश्वविद्यालय में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को साझा न्यूनतम पात्रता मानदंड और प्रोग्राम-विशिष्ट पात्रता मानदंड के लिए यूजी बीओआई-2022 का संदर्भ लेना चाहिए। (http://du.ac.in/uploads/new-web/21042022_BOI-UG.pdf)।
4. अभ्यर्थी को प्रोग्राम का चयन करने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित कार्यक्रमों की सूची, प्रोग्राम-विशिष्ट पात्रता मानदंड, सीट मैट्रिक्स, शुल्क संरचना और अन्य प्रासंगिक जानकारी का उल्लेख करना चाहिए।

सलाह
*उम्मीदवारों को प्रवेश वेबसाइट (*admission.uod.ac.in*) पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) की जाँच करनी चाहिए।*

5. दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्रता का निर्धारण और दस्तावेजों का सत्यापन दिल्ली विश्वविद्यालय का एकमात्र अधिकार होगा।
6. केवल जो अभ्यर्थी सीयूईटी (यूजी)-2022 में उपस्थित हुए हैं और एक ही मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे सीएसएएस-2022 के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

7. अभ्यर्थी को दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट (https://admission.uod.ac.in) के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के सीएसएएस-2022 में ऑनलाइन आवेदन करना और वरीयता भरना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. सभी यूजी प्रोग्राम के लिए सीट नियतन पूरी तरह से सीयूईटी (यूजी)- 2022 में प्राप्त अंकों पर आधारित होगा।

9. प्रदर्शन-आधारित प्रोग्राम तथा ईसीए और खेलकूद अधिसंख्य (स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरी) कोटा में सीट नियतन के लिए, सीयूईटी (यूजी)-2022 और प्रदर्शन परीक्षण / ट्रायल और / अथवा प्रमाण पत्र के संयुक्त स्कोर पर विचार किया जाएगा।

10. दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित सीएसएएस-2022 मेरिट सूची का पालन किया जाएगा।

11. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश से संबंधित सभी संप्रेषण और अपडेट के लिए वे अपने डैशबोर्ड, ई-मेल और प्रवेश वेबसाइट (www.admission.uod.ac.in) की जांच करें।

12. प्रवेश दिशानिर्देशों, शेड्यूल, पात्रता मानदंड और सीएसएएस-2022 नियमों के बारे में अभ्यर्थी की जागरूकता की कमी के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। यह अभ्यर्थी की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वह नियमित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के डैशबोर्ड, ई-मेल और प्रवेश वेबसाइट की जांच करते रहें।

13. अभ्यर्थी निर्धारित तिथि और समय के भीतर संबंधित दस्तावेजों को जमा न करने और / अथवा शुल्क का भुगतान न करने सहित प्रवेश के लिए आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर प्रवेश का अपना अधिकार खो देगा।

14. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा अधिसूचित किए जाने पर अभ्यर्थी को मूल दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

सलाह

प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, अभ्यर्थी चैटबॉट ऐक्सेस कर सकते हैं, हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं और/या यूजी हेल्पडेस्क पर ईमेल लिख सकते हैं। विवरण प्रवेश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

15. किसी भी आरक्षित श्रेणी (पीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यू तथा केएम सहित) के तहत आरक्षण का दावा करने के लिए अपनी पात्रता साबित करना अभ्यर्थी की एकमात्र जिम्मेदारी है। एससी / एसटी / ओबीसी- एनसीएल / ईडब्ल्यूएस / अल्पसंख्यक / सीडब्ल्यू / पीडब्ल्यूबीडी / केएम श्रेणियों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जारीकर्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित आरक्षित श्रेणी / उप-श्रेणी के प्रमाण पत्र / दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

16. यदि किसी भी स्तर पर प्रवेश से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी/नकली और/अथवा मनगढ़ंत अथवा किसी अन्य तरीके से दोषपूर्ण पाए जाते हैं, तो उक्त अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और यदि पहले से ही प्रवेश दिया गया है, तो इस संबंध में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। यदि प्रोग्राम पूरा करने के बाद ऐसा पाया जाता है, तो उसकी डिग्री रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

17. प्रवेश प्रक्रिया में एक अभ्यर्थी की भागीदारी अनंतिम होगी। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अपेक्षित पात्रता को पूरा नहीं किया है, तो प्रवेश, यदि प्रदान किया गया है, तो वास्तव में रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

18. यदि कोई अभ्यर्थी बाद में अपात्र पाया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रवेश शुल्क वापस नहीं करेगा।

19. विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अध्याय-2
साझा (कॉमन) सीट नियतन प्रणाली के बारे में जानकारी (सीएसएएस-2022)

1. शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी यूजी प्रोग्राम में प्रवेश सीएसएएस-2022 के माध्यम से होगा, जो यूजी बीओआई-2022 में बताई गई अपेक्षित पात्रता और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित अन्य नियमों के आधार पर होगा।
2. यहाँ बताए गए सीएसएएस-2022 नियम केवल शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी यूजी प्रोग्राम में अनंतिम प्रवेश के लिए लागू होंगे।
3. सीएसएएस-2022 के माध्यम से प्रवेश लेने के लिए www.admission.uod.ac.in पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को सीएसएएस-2022 आवेदन पत्र केवल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन भरना होगा। सीएसएएस-2022 आवेदन पत्र को ऑफलाइन नहीं भरना होगा।
4. **सीएसएएस-2022 आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय) एक बार के लिए होगा:**

अभ्यर्थी की श्रेणी	सीएसएएस-2022 आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय)
यूआर/ओबीसी-एनसीएल/ ईडब्ल्यूएस	रु. 250.00 (रुपये दो सौ पचास मात्र)
एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी	रु. 100.00 (रुपये सौ मात्र)

ईसीए और / अथवा खेलकूद अधिसंख्य (स्पोर्ट्स सुपरन्यूमरी) कोटा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को प्रत्येक कोटे के लिए रु. 100/- (सौ रुपये मात्र) का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

5. अभ्यर्थी को एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
6. सीएसएएस-2022 के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी एनटीए द्वारा आयोजित सीयूईटी (यूजी) - 2022 में उपस्थित होना चाहिए।

सलाह
सीएसएएस-2022 आवेदन पत्र भरने के लिए उम्मीदवारों को अंतिम दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए।

7. अभ्यर्थी को सीयूईटी (यूजी)-2022 में केवल उन्हीं विषयों में उपस्थित होना चाहिए, जिनमें उसने बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की है।
8. सीएसएएस-2022 आवेदन शुल्क जमा होने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा माना जाएगा। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीएसएएस-2022 आवेदन शुल्क केवल दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश पोर्टल के माध्यम से जमा किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए भुगतान लिंक के अलावा किसी अन्य लिंक अथवा मोड के माध्यम से जमा सीएसएएस-2022 आवेदन शुल्क पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

सलाह
फॉर्म को डेस्कटॉप/लैपटॉप के माध्यम से भरने की सलाह दी जाती है। फॉर्म मोबाइल फोन का उपयोग करके न भरें।

9. यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रोग्राम के लिए और/अथवा बाद के चरण में किसी भी श्रेणी के तहत अपात्र पाया जाता है तो सीएसएएस-2022 आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
10. अभ्यर्थी को यह जांचने की सलाह दी जाती है कि क्या वह उस प्रोग्राम के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है और यूजी बीओआई-2022 (http://du.ac.in/uploads/new- web/21042022_BOI-UG.pdf) में प्रकाशित प्रोग्राम-विशिष्ट पात्रता को पूरा करने वाले संबंधित विषयों / टेस्ट पेपर में सीयूईटी (यू.जी)-2022 में उपस्थित हुआ हो।

11. यदि किसी अभ्यर्थी ने सीएसएएस-2022 में आवेदन किया है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रोग्राम की पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी किसी विषय/परीक्षा पेपर में उपस्थित नहीं हुआ अथवा अनुपस्थित था, जो किसी विशेष प्रोग्राम की पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है, उस स्थिति में, वह उस विशेष प्रोग्राम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।

13. यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं और अभ्यर्थी द्वारा पात्रता मानदंड को पूरा किया जाता है, तो आवंटित सीट को महाविद्यालय द्वारा अनंतिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा। उस स्थिति में, अभ्यर्थी को निर्धारित समय के भीतर प्रवेश शुल्क का भुगतान करके स्वीकृत आवंटित सीट पर प्रवेश लेना होगा।

14. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि दुरुपयोग से बचने के लिए लॉग-इन क्रेडेंशियल, अर्थात् लॉगिन आईडी और पासवर्ड को पूरी तरह से गोपनीय रखें। एक बार बनाए गए लॉगिन क्रेडेंशियल को किसी भी परिस्थिति में बदला/संपादित नहीं किया जा सकता है।

सलाह
उम्मीदवारों को शुल्क और शुल्क माफी नियमों (यदि कोई हो) की जानकारी के लिए विभिन्न कॉलेजों की वेबसाइट देखना चाहिए।

15. अभ्यर्थी को सीएसएएस-2022 के सभी नियतन और प्रवेश दौर की निर्धारित समय-सीमा का पालन करना चाहिए।

16. एक अभ्यर्थी जिसके दस्तावेज जानबूझकर जालसाजी/धोखाधड़ी के कार्य के कारण अमान्य पाए जाते हैं, उन्हें सीएसएएस-2022 से वंचित कर दिया जाएगा।

कॉमन सीट नियतन प्रणाली-2022 को तीन चरणों में बांटा गया है:

चरण I: दिल्ली विश्वविद्यालय में आवेदन करना

चरण II: प्रोग्रामों और महाविद्यालयों के लिए वरीयताएँ भरना

चरण III: नियतन-सह-प्रवेश

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए, अभ्यर्थी को निर्धारित समय के भीतर सीएसएएस के सभी तीन चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

अध्याय-3
सीएसएएस-2022 आवेदन पत्र

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय का आवेदन पत्र भरने से पहले यूजी बीओआई-2022 (UG BOI-2022) और सीएसएएस-2022 (CSAS-2022) को पढ़ लें।

सीएसएएस-2022 में आवेदन करने के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा-सीयूईटी (यूजी)-2022 आवेदन संख्या अनिवार्य होगी। अभ्यर्थी का नाम, हस्ताक्षर और फोटो सीयूईटी (यूजी) - 2022 पोर्टल से स्वतः एकीकृत हो जाएगा। इन फील्ड में सम्पादन करके बदलाव नहीं किया जा सकता।

आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी को अपने लैपटॉप पर सभी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की सॉफ्ट कॉपी को स्कैन करके रखना होगा। (आवश्यक दस्तावेजों की सूची के लिए अनुबंध III देखें)।

सलाह

अभ्यर्थी को सीएसएएस 2022 आवेदन पत्र को अत्यंत सावधानी से भरना होगा क्योंकि फॉर्म को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.1: वैयक्तिक भाग

वैयक्तिक भाग में, दर्ज किए गए विवरण अभ्यर्थी के प्रमाणपत्र/दस्तावेजों में उल्लिखित विवरणों से मेल खाना चाहिए। बेमेल सूचना/विसंगतियां किसी भी स्तर पर सीएसएएस 2022 आवेदन पत्र की अस्वीकृति का कारण बन सकती हैं।

अभ्यर्थी को वैयक्तिक भाग ध्यानपूर्वक भरना चाहिए।

सलाह

उम्मीदवारों को अपना लॉगिन विवरण, जैसे सीयूईटी (यूजी) 2022 आवेदन संख्या, ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना चाहिए।

जिन अभ्यर्थियों ने सीयूईटी (यूजी) 2022 में पीडब्ल्यूबीडी (PwBd) श्रेणी का विकल्प चुना था, उन्हें सीएसएएस 2022 में अपनी श्रेणी बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि उन्होंने सीयूईटी (यूजी)-2022 परीक्षा के दौरान पीडब्ल्यूबीडी लाभ (जैसे प्रतिपूरक समय और लेखक का प्रावधान) का लाभ उठाया होगा।

सीडब्ल्यू श्रेणी का चयन करने वाले अभ्यर्थी को अपनी सीडब्ल्यू प्राथमिकता सावधानी से चुननी चाहिए।

अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा भरा गया बैंक खाते का विवरण वैध है और अभ्यर्थी या उसके परिवार के आसन्न सदस्यों का है। यह ध्यातव्य है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा धन-वापसी (यदि कोई हो) केवल इसी खाते में की जाएगी। पूरी प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते के विवरण में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती।

फॉर्म जमा करने के बाद, निम्नलिखित व्यक्तिगत विवरण नहीं बदले जाएंगे:

क. माता-पिता का नाम
ख. श्रेणी / उप-श्रेणी / जाति
ग. लिंग
घ. ईमेल आईडी
ङ. मोबाइल नंबर

प्रदर्शन-आधारित कार्यक्रमों (बी.ए. (ऑ.) संगीत, बी.एससी (पीई, एचई एंड एस)) में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को उचित रूप से चयन करना होगा और संबंधित प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे (विवरण के लिए अध्याय 20 देखें)।

3.2: शैक्षणिक भाग

उन सभी विषयों के अंक दर्ज करें जिनमें अभ्यर्थी ने बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की है।

यदि मार्कशीट में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा दोनों के अंक हैं, तो केवल बारहवीं कक्षा के अंक ही दर्ज किए जाने चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा सिद्धांत और प्रयोग अलग-अलग उत्तीर्ण होने चाहिए।

बारहवीं कक्षा की मार्कशीट के अनुसार सिद्धांत, प्रयोग अंकों के लिए प्राप्त अंक और अधिकतम अंक अलग से भरें। यदि किसी पेपर के लिए सिद्धांत/प्रयोग के अंक अलग से निर्दिष्ट नहीं है, तो उस पेपर के लिए 'सिद्धांत' फ़ील्ड में अंक दर्ज करें और प्रयोग के फ़ील्ड में अधिकतम अंकों और प्राप्त अंकों में "0" दर्ज करें।

प्रयोग भाग के अंतर्गत सत्रीय/आंतरिक मूल्यांकन को जोड़ा जा सकता है।

सिद्धांत, प्रयोग या कुल जोड़ से संबंधित अंकों की प्रविष्टि में किसी भी विसंगति के लिए केवल अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी।

सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बारहवीं कक्षा के अंक भरते समय अत्यधिक सावधानी बरतें क्योंकि ये टाई को तोड़ने का आधार बनेंगे, यदि कोई हो।

3.3: खेल भाग

स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरी कोटा के आधार पर प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी अधिकतम तीन क्रीड़ाओं / खेलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी केवल 01 अप्रैल 2017 से 30 जून 2022 के बीच जारी किए गए पिछले पांच वर्षों के अधिकतम तीन योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां अपलोड कर सकते हैं।

विवरण के लिए, अध्याय 21 देखें

3.4: पाठ्येतर कार्यकलाप (ईसीए) भाग

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए ईसीए सुपरन्यूमेरी (अधिसंख्यक) कोटा के माध्यम से प्रवेश 14 ईसीए श्रेणियों में किया जाएगा। ईसीए सुपरन्यूमेरी कोटा के आधार पर प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी अधिकतम तीन ईसीए श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक ईसीए श्रेणी के लिए जिसमें अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, उसे पिछले पाँच वर्षों के अधिकतम पांच स्व-सत्यापित प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे, जो केवल 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2022 की समयावधि के बीच जारी किए गए हों।

सलाह

आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कॉलेज-वार ईसीए और स्पोर्ट्स सीट मैट्रिक्स और विभिन्न कॉलेजों में खेलकूद / खेल एवं ईसीए श्रेणियों / उप-श्रेणियों की उपलब्धता देखें।

विवरण के लिए, अध्याय 21 देखें।

3.5: अपलोड

अभ्यर्थी को अनुबंध IV के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

सलाह

उम्मीदवारों को नवीनतम दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। भौतिक सत्यापन के दौरान इसकी आवश्यकता होगी।

एससी / एसटी / ओबीसी / एनसीएल / ईडब्ल्यूएस / अल्पसंख्यक / सीडब्ल्यू / केएम / पीडब्ल्यूबीडी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी का नाम उस नाम से मेल खाना चाहिए जो संबंधित स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट और सीयूईटी (यूजी) - 2022 में दिखाई देता है। इसी तरह, प्रमाणपत्र में माता-पिता का नाम मेल खाना चाहिए।

अभ्यर्थी अपने द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्र की गुणवत्ता और प्रमाणिकता के लिए जिम्मेदार होगा / होगी। उसे यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए कि अपलोड किए गए दस्तावेज़ / प्रमाणपत्र प्रामाणिक और सटीक हैं।

सलाह

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किए गए प्रमाण पत्र दृश्यमान और पठनीय हैं।

यदि किसी भी झूठे सत्यापन/झूठे रिकॉर्ड का पता चलता है, तो अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय और/या उसके कॉलेजों से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

अधूरे / अनुपलब्ध प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों के एवज में कोई शपथपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3.6: पूर्वावलोकन

अभ्यर्थी अपने द्वारा दी गई जानकारी का पूर्वावलोकन कर सकेगा/सकेगी। यदि आवश्यक हो तो अभ्यर्थी के पास संपादन / परिवर्तन करने का विकल्प होगा।

अभ्यर्थी अनिवार्य दस्तावेजों को अपलोड किए बिना सीएसएएस-2022 आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन, शुल्क का भुगतान या आवेदन जमा नहीं कर सकेगा।

सलाह
किसी भी अंतिम मिनट की जल्दबाजी से बचने के लिए उम्मीदवारों को समय सीमा से पहले आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

अंतिम सबमिशन के अगले भाग में आगे बढ़ने से पहले अभ्यर्थी को अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक विवरण को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

एक बार आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद कोई परिवर्तन/संपादन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.7: अंतिम सबमिशन

एक बार सीएसएएस-2022 आवेदन पत्र भर देने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, अभ्यर्थी को सीएसएएस-022 आवेदन शुल्क का भुगतान करके फॉर्म जमा करना होगा। अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर आवेदन शुल्क की सफल वसूली के बाद ही सीएसएएस-2022 में भाग लेने के लिए पात्र हो पाएंगे। शुल्क का भुगतान केवल अभ्यर्थी के डैशबोर्ड पर दिए गए पेमेंट गेटवे लिंक के माध्यम से किया जाना चाहिए। सीएसएएस-2022 आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए सृजित इस ऑनलाइन लिंक के अलावा अभ्यर्थियों के लिए कोई अन्य विधि उपलब्ध नहीं है। यदि आवेदन शुल्क सफलतापूर्वक जमा नहीं किया जाता है, तो किसी भी परिस्थिति में आवंटन के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सलाह
सीएसएएस-2022 आवेदन शुल्क के सफल भुगतान पर, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के संदर्भ के लिए लेनदेन के विवरण के रिकॉर्ड को सबूत के रूप में रखें।

सभी भुगतानों के लिए, उम्मीदवारों को इनमें से किसी भी भुगतान मोड का उपयोग करना चाहिए: नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / यूपीआई।कार्ड/क्रेडिट कार्ड / यूपीआई।

अध्याय-4
प्रेफ्रेन्स फिलिंग (वरीयता का उल्लेख करना)

सीयूईटी (यूजी)-2022 के परिणाम घोषित होने के बाद, दिल्ली विश्वविद्यालय एक प्रेफ्रेन्स-फिलिंग चरण खोलेगा। अभ्यर्थी को अपने सीएसएएस 2022 डैशबोर्ड में लॉग इन करना होगा ताकि वह उस प्रोग्राम का चयन कर सके जिसके आवंटित होने पर वह प्रवेश लेने के लिए इच्छुक है। अभ्यर्थी को अपने द्वारा चुने गए प्रत्येक प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम + कॉलेज संयोजन की प्रेफ्रेन्स भी भरनी होंगी।

प्रोग्राम + कॉलेज संयोजनों की प्रेफ्रेन्स भरने के लिए जिसमें अभ्यर्थी प्रवेश लेने के इच्छुक है, उन्हें प्रेफ्रेन्स फिलिंग के चरण में निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

4.1: प्रोग्राम भाग

दिल्ली विश्वविद्यालय विभिन्न कॉलेजों में 79 यूजी प्रोग्रामों की पेशकश कर रहा है, अभ्यर्थी जितने चाहे उतने प्रोग्रामों का चयन कर सकते हैं।

इसके लिए अभ्यर्थी को डैशबोर्ड में लॉग इन करना होगा और प्रोग्राम-सेक्शन में जाना होगा।

अभ्यर्थी को उन सभी यूजी प्रोग्रामों का चयन करना होगा जिनमें वह सीएसएएस-2022 के माध्यम से आवंटित होने पर प्रवेश लेने का इच्छुक है।

प्रोग्राम/मों का चयन करते समय अभ्यर्थी को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। **यह अभ्यर्थी के हित में है कि वह जितने भी प्रोग्रामों में शामिल होना चाहता है, उसे चुनें, बशर्ते वह चयनित प्रोग्रामों की प्रोग्राम-विशिष्ट पात्रता को पूरा करता हो।** प्रेफ्रेन्स फिलिंग के चरण के दौरान अभ्यर्थी द्वारा चुने गए प्रोग्रामों पर ही आवंटन और उन्नयन (यदि कोई हो) के लिए विचार किया जाएगा।

सलाह
अभ्यर्थी को, जितने चाहे उतने कार्यक्रमों का चयन करना चाहिए, क्योंकि प्रेफ्रेन्स फिलिंग का चरण समाप्त होने के बाद वह किसी भी प्रोग्राम/मों और/या प्रेफ्रेन्स को जोड़/हटा नहीं सकेंगे।

4.2: प्रोग्राम-विशिष्ट सीयूईटी मेरिट स्कोर की पुष्टि

अभ्यर्थी को पात्र होने पर उसके द्वारा चुने गए सभी प्रोग्रामों के लिए प्रोग्राम-विशिष्ट सीयूईटी स्कोर की पुष्टि करनी चाहिए।

4.3: प्रोग्राम + कॉलेज प्रेफ्रेन्स का चयन

जिन प्रोग्रामों के लिए अभ्यर्थी ने प्रोग्राम-विशिष्ट सीयूईटी स्कोर की पुष्टि की है, उन्हें **'प्रोग्राम + कॉलेज संयोजन'** का चयन करना होगा। अभ्यर्थी कई प्रोग्राम + कॉलेज संयोजन चुन सकते हैं।

प्रोग्राम/कॉलेजों का चयन करते समय अभ्यर्थी को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि प्रोग्राम+कॉलेज संयोजन के चयन का क्रम भी प्रेफ्रन्स क्रम निर्धारित करेगा। अभ्यर्थी प्रोग्राम + कॉलेज संयोजनों के प्रेफ्रेन्स क्रम को प्राथमिकता देने के लिए पुन: क्रम बदल सकते हैं। सबमिट किया गया प्रेफ्रेन्स क्रम सीट के आवंटन का निर्धारण करेगा (आवंटन नियमों के लिए अध्याय 5 देखें)।

सलाह
प्रेफ्रेन्स तय करते समय शुल्क संरचना, कॉलेज का स्थान और कॉलेज से संबंधित अन्य सुविधाओं का संदर्भ लें।

अधिक से अधिक प्रेफ्रेन्स भरना अभ्यर्थी के हित में है।

4.4: बी.ए. (प्रोग्राम) संयोजन का चयन

दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में 206 बी.ए. (प्रोग्राम) संयोजन पेश किए जाते हैं। अभ्यर्थी को सावधानीपूर्वक इन संयोजनों का चयन करना चाहिए और बी.ए. (प्रोग्राम) संयोजन के लिए प्रेफ्रेन्स क्रम को रैंक करना चाहिए।

4.5: प्रेफ्रेन्स की पुष्टि

अभ्यर्थी को प्रेफ्रेन्स फिलिंग के चरण के अंतिम दिन/उससे पहले 'सबमिट' पर क्लिक करके प्रोग्राम + कॉलेज संयोजनों के लिए प्रेफ्रेन्स क्रम की पुष्टि करनी चाहिए।

सलाह
उम्मीदवारों को वरीयता भरने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

अभ्यर्थी, यदि चाहे तो, प्रेफ्रेन्स फिलिंग के चरण की अंतिम तिथि से पहले, चयनित संयोजनों की प्रेफ्रेन्स का फिर से क्रम बदल कर सकता है।

जमा करने से पहले, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रेफ्रन्स क्रम उसकी पसंद के अनुसार है। **प्रेफ्रेन्स फिलिंग के चरण के लिए समय सीमा बीतने के बाद प्रोग्राम + कॉलेज संयोजन प्रेफ्रेन्स सूची को संपादित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी**, अर्थात्, अभ्यर्थी प्रेफ्रन्स फिलिंग के चरण के बाद अपनी प्रेफ्रन्स के क्रम को बदल नहीं सकता है अथवा कोई और प्रोग्राम और/या कॉलेज जोड़/हटा नहीं सकता है।

यदि कोई अभ्यर्थी अपनी प्रेफ्रेन्स जमा नहीं करता है, तो प्रेफ्रेन्स फिलिंग के चरण की समय सीमा तक पहुँचने पर सहेजा गया पिछला प्रेफ्रेन्स क्रम स्वचालित रूप से लॉक हो जाएगा। ये लॉक हुई प्रेफ्रेन्स सीएसएएस-2022 के सभी राउंड के लिए सीटों के आवंटन का आधार बनेंगी।

सलाह
प्रोग्रामों का चयन करते समय या प्रेफ्रेन्स क्रम तय करते समय जल्दबाजी न करें। धैर्य रखें और यूजी बीओआई-2022 (http://du.ac.in/uploads/new-web/07072022_UG-BOI.pdf) में दिए गए प्रोग्रामों के पात्रता मानदंड को ध्यान से पढ़ें।

अध्याय-5
आवंटन नियम

1. अनंतिम सीट आवंटन के संदर्भ में, **'आवंटित सीट'** प्रोग्राम + कॉलेज का अनन्य संयोजन होती है। उदाहरण के लिए, कॉलेज X में बी.ए. (ऑनर्स) मनोविज्ञान 'आवंटित सीट' के रूप में जाना जाता है।

2. **उच्चतम संभावित प्रेफ्रेन्स** निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करते हुए अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से आवंटित की जाएगी:

    क. प्रोग्राम-ग्रुप मेरिट लिस्ट (समान प्रोग्राम-विशिष्ट पात्रता मानदंड वाले प्रोग्राम मिलकर प्रोग्राम समूह बनाते हैं)

    ख. श्रेणी (यूआर/ओबीसी-एनसीएल/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/अल्पसंख्यक/पीडब्ल्यूबीडी/केएम)।

    ग. सीटों की उपलब्धता।

    घ. इस दस्तावेज (सीएसएएस-2022), यूजी बीओआई-2022 में उल्लिखित या दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित कोई अन्य आवंटन नियम, नीतियाँ या मानदंड।

3. अनारक्षित (यूआर) श्रेणी की सीटों के लिए मेरिट सूची में योग्यता के क्रम में सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे। इससे किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के लिए मेरिट सूची में एससी / एसटी / ओबीसी-एनसीएल / अल्पसंख्यक / ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, यदि वे यूआर श्रेणी के लिए योग्यता की कसौटी पर खरे उतरते हों। किसी भी अभ्यर्थी को यूआर श्रेणी की मेरिट सूची से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभ्यर्थी एससी / एसटी / ओबीसी-एनसीएल / ईडब्ल्यूएस / अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है या उस श्रेणी के तहत आवेदन किया है। श्रेणी/जाति के आधार पर भेदभाव पूरी तरह से गैरकानूनी है। दिल्ली विश्वविद्यालय इस आधार पर किसी भी अभ्यर्थी/विद्यार्थी के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं करता है। किसी भी उल्लंघन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. यदि एससी / एसटी / ओबीसी-एनसीएल / ईडब्ल्यूएस / अल्पसंख्यक / पीडब्ल्यूबीडी / सीडब्ल्यू / केएम श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के पास सीएसएएस-2022 में आवेदन करते समय संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र / दस्तावेज नहीं है, तो उनके दावे के अनुसार संबंधित श्रेणी में आवंटन के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा। (श्रेणी प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से संबंधित विवरण प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है)।

5. यदि विशेष प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वाले पात्र अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के अभ्यर्थियों की कुल संख्या समाप्त हो जाती है, तो उस विशेष कार्यक्रम के लिए इस श्रेणी के तहत शेष सीटें पात्र अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटित की जाएंगी और विलोमत: यही स्थिति होगी।

6. यदि किसी अभ्यर्थी को किसी आरक्षित श्रेणी/उप-श्रेणी के तहत सीट आवंटित की गई थी और उस श्रेणी / उप-श्रेणी / जाति दस्तावेजों में कमी के आधार पर उसे खारिज कर दिया गया था, तो उसकी पात्रता, योग्यता और यूआर में सीटों की उपलब्धता के अनुसार बाद में यूआर श्रेणी के अनुवर्ती दौर (यदि कोई हो) में सीट आवंटन के लिए विचार किया जा सकता है।

अध्याय-6
सीट आवंटन और प्रवेश

आवंटन सूची / सूचियों की घोषणा होने पर, अभ्यर्थी को सूचियों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और आवंटित सीट, यदि पेशकश की गई हो, की स्वीकृति के लिए अपने सीएसएएस-2022 डैशबोर्ड पर लॉग ऑन करना चाहिए।

सलाह

उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए गतिविधियों की अनुसूची की जांच करनी चाहिए, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट (admission.uod.ac.in) *पर उपलब्ध हैं।*

यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह डैशबोर्ड में लॉग इन करे और यह जांचें कि सीट आवंटन के निर्धारित दौर में सीट आवंटित की गई है या नहीं, और यदि आवंटित की गई है तो उसे सभी प्रवेश औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।

6.1: अनंतिम रूप से आवंटित सीट की स्वीकृति

सलाह

अनुवर्ती दौर में भाग लेने के लिए, अभ्यर्थी को उसे आवंटित सीट को अवश्य स्वीकार करना होगा।

एक बार किसी विशेष दौर में सीट आवंटित हो जाने के बाद, अभ्यर्थी को निर्धारित आवंटन दौर के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि/समय से पहले **आवंटित सीट को 'स्वीकार'** करना होगा। किसी विशेष आवंटित सीट की स्वीकृति का प्रावधान केवल उसी दौर के लिए मान्य होगा जिसमें अभ्यर्थी को सीट आवंटित की गई थी।

यदि किसी अभ्यर्थी को किसी विशेष दौर में कई सीटों की पेशकश की जाती है, तो उसे केवल एक आवंटित सीट को "स्वीकार" करना होगा।

निष्क्रियता/कार्रवाई नहीं करने को आवंटित सीट के लिए अस्वीकृति के रूप में माना जाएगा। इसे अनंतिम रूप से आवंटित सीट को अस्वीकृत करने के रूप में माना जाएगा और अभ्यर्थी सीएसएएस-2022 के अनुवर्ती दौर में भाग नहीं ले पाएंगे।

6.2: कॉलेज द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति

एक बार जब अभ्यर्थी अनंतिम रूप से आवंटित सीट को "स्वीकार" कर लेता है, तो संबंधित कॉलेज अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई पात्रता और दस्तावेजों की जांच करेगा। कॉलेज निर्धारित समय-सीमा के भीतर निम्नलिखित का सत्यापन करेगा:

1. अभ्यर्थी की न्यूनतम पात्रता।
2. अभ्यर्थी की प्रोग्राम-विशिष्ट पात्रता।
3. विषयगत मैपिंग: दिल्ली विश्वविद्यालय केवल उन सीयूईटी विषयों पर विचार करेगा जिनमें उसने बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की है।
4. अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की वैधता और प्रामाणिकता।

ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई कॉलेज अभ्यर्थी से और अधिक स्पष्टता/सूचना चाहता है, तो वह अभ्यर्थी से प्रश्न पूछ सकता है (भाग 6.3 देखें)।

सत्यापन के बाद, कॉलेज अभ्यर्थी की अस्थायी रूप से आवंटित सीट को 'स्वीकृत' या 'अस्वीकृत' करेगा। कॉलेजों द्वारा कोई भी आवेदन अनुत्तरित नहीं छोड़ा जाएगा।

स्वीकृति के मामले में:

एक बार कॉलेज ने मंजूरी दे दी, तो अभ्यर्थी को **'प्रवेश शुल्क' का भुगतान करना होगा** (भाग 6.4 देखें)।

अस्वीकृति के मामले में:

ऑनलाइन सत्यापन के समय, यदि कोई आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो कॉलेज अस्वीकृति का कारण बताएगा। किसी आवेदन को अस्वीकार करने के लिए, कॉलेज निम्नलिखित में से किसी कारण को इंगित करेगा:

1. अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम पात्रता पूरी न करना।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रोग्राम-विशिष्ट पात्रता पूरी न करना।
3. विषयगत मैपिंग मानदंड को पूरा न करना।
4. अभ्यर्थी द्वारा अमान्य दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना।
5. निर्धारित समय के भीतर कॉलेज द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर न देना।

6.3: कॉलेज के अनुमोदन के दौरान प्रश्नों (यदि कोई हो) का उत्तर देना

ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई कॉलेज कोई प्रश्न पूछता है तो अभ्यर्थी को निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन (अभ्यर्थी के डैशबोर्ड के माध्यम से) उत्तर देना होगा। प्रश्नों का उत्तर न देने पर आवंटित सीट को अस्वीकार कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी सीएसएएस-2022 से बाहर हो जाएंगे।

सलाह
अभ्यर्थियों को नियमित रूप से अपने डैशबोर्ड की जांच करनी चाहिए और निर्धारित समय के भीतर कॉलेज द्वारा उठाए गए प्रश्नों (यदि कोई हो) का उत्तर देना चाहिए।

6.4: अनंतिम रूप से आवंटित सीट पर प्रवेश

कॉलेज के अनुमोदन के बाद, अभ्यर्थी को स्वीकृत सीट के लिए **प्रवेश शुल्क का भुगतान** करना होगा। प्रवेश शुल्क के सफल भुगतान के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण माना जाएगा।

यदि अभ्यर्थी ने निर्धारित समय के भीतर प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं किया है, तो इसे अनंतिम रूप से आवंटित सीट को रद्द करने के रूप में माना जाएगा। आवंटित सीट को जब्त कर लिया जाएगा और अभ्यर्थी पर किसी भी सीएसएएस-2022 आवंटन के अनुवर्ती दौर के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आवंटित सीट के सभी अधिकारों को खो देंगे और उस पर किसी भी अनुवर्ती सीएसएएस-2022 आवंटन दौर के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

सलाह
उम्मीदवारों को समय पर भुगतान करना चाहिए और अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

अध्याय-7
आवंटन के अनुवर्ती दौर

अस्वीकृति, रद्द किए जाने और वापस लेने के कारण खाली हुई सीटों की उपलब्धता के आधार पर, विश्वविद्यालय कई आवंटन दौरों की घोषणा कर सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रत्येक आवंटन दौर से पहले अपनी प्रवेश वेबसाइट (admission.uod.ac.in) पर खाली सीटों को प्रदर्शित करेगा।

सीएसएएस-2022 के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी सभी आवंटन दौर के लिए पात्र होंगे, सिवाय उन अभ्यर्थियों के जिनकी आवंटित सीट/प्रवेश किसी भी कारण से रद्द कर दिया गया हो।

भर्ती हुए सभी अभ्यर्थी जो किसी विशेष दौर में "अपग्रेड" विकल्प चुनते हैं, उन पर संबंधित सीएसएएस-2022 आवंटन दौर के लिए सीटों की उपलब्धता के अधीन विचार किया जाएगा।

जिन अभ्यर्थियों को किसी भी दौर में अपनी पहली प्रेफ्रेन्स आवंटित की गई थी, उन पर आवंटन के बाद के दौर में विचार नहीं किया जाएगा।

अध्याय - 8
अपग्रेड करें या फ्रीज करें

किसी दौर की घोषणा से पहले, विश्वविद्यालय भर्ती किए गए सभी अभ्यर्थियों के लिए "अपग्रेड" विंडो खोलेगा।

9.1: अपग्रेड

प्रवेश लिया हुआ अभ्यर्थी 'अपग्रेड' विकल्प का चयन कर सकते है, जो अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रेफ्रन्स में अपग्रेड करने की अनुमति देगा। अपग्रेड का विकल्प लेने वाले प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी, आवंटन नीति के आधार पर स्वचालित रूप से अपग्रेड हो जाएंगे।

'अपग्रेड' विकल्प चुनने का अर्थ यह होगा कि अभ्यर्थी अनुवर्ती दौर (यदि कोई हो) में अपनी उच्च प्रेफ्रन्स के प्रोग्राम+कॉलेज संयोजन में प्रवेश के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमति देते हैं। यदि नई प्रेफ्रेन्स आवंटित की जाती हैं, तो उनकी वर्तमान भर्ती वाली सीट स्वतः रद्द हो जाएगी।

'अपग्रेड' का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी, प्रोग्राम + कॉलेज संयोजन का भी फिर से क्रम बदल सकते हैं जो आवंटित किए गए संयोजन की तुलना में प्रेफ्रेन्स में ऊपर थे।

जिस प्रोग्राम + कॉलेज संयोजन में उसने पहले प्रवेश लिया था, किसी भी अनुवर्ती दौर में अभ्यर्थी को कभी भी पेश नहीं किया जाएगा। इसी तरह, प्रोग्राम + कॉलेज संयोजन जो प्रेफ्रन्स क्रम में नीचे थे, जिस पर अभ्यर्थी ने पहले प्रवेश लिया था, किसी भी अनुवर्ती दौर में अभ्यर्थी को फिर से पेश नहीं किया जाएगा।

अपग्रेड विकल्प उस अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध नहीं होगा जिसे उसकी पहली प्रेफ्रेन्स आवंटित की गई थी।

यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी कि वह सीट आवंटन के सभी दौरों में 'अपग्रेड' विकल्पों की जांच करते रहें। अपग्रेड करने की प्रक्रिया में भाग लेने में विफलता/असमर्थता को किसी भी परिस्थिति में शिकायत नहीं माना जाएगा।

जो अभ्यर्थी अपग्रेड हो जाते हैं, उन्हें अपग्रेड की गई सीट को 'स्वीकार' करना होगा और अपग्रेड की गई आवंटित सीट पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड की गई सीट पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इसे डिफ़ॉल्ट रूप से रद्द माना जाएगा और अभ्यर्थी सीएसएएस-2022 से बाहर हो जाएंगे।

यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होते हैं, तो उसकी पिछली सीट पर प्रवेश बरकरार रखा जाएगा।

9.1: फ्रीज

ऐसा अभ्यर्थी जिसने आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है और इसे जारी रखना चाहते है, उसे अपने डैशबोर्ड के माध्यम से 'फ्रीज' अनुरोध सबमिट करना चाहिए। **'फ्रीज' का चयन करने पर, ऐसे अभ्यर्थी को कभी भी "अपग्रेडेशन" का विकल्प चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

सलाह
उम्मीदवारों को अपना प्रवेश केवल तभी "फ्रीज" करना चाहिए जब वे इससे संतुष्ट हों और बाद में आवंटन के लिए विचार नहीं करना चाहते।

यदि प्रवेश ले चुका कोई अभ्यर्थी न तो अपग्रेड का विकल्प देता/देती है और न ही फ्रीज का विकल्प देता/देती है, और एक दौर के लिए निष्क्रिय रहता/रहती है, तो उसके द्वारा लिया गया प्रवेश बरकरार रखा जाएगा और अपग्रेड करने के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

अध्याय - 9
अनंतिम रूप से आवंटित सीट/प्रवेश रद्द करना

1. निर्धारित समय सीमा के भीतर अनंतिम रूप से आवंटित सीट को 'स्वीकार' न करने पर आवंटित सीट को रद्द कर दिया जाएगा।
2. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर प्रवेश शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता/रहती है, तो अनंतिम रूप से आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी।
3. यदि किसी भी समय, कोई भी दस्तावेज/प्रमाणपत्र अमान्य/धोखाधड़ी पूर्ण पाया जाता है, तो अनंतिम रूप से आवंटित सीट/प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
4. यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा घोषित न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता/करती है, तो अनंतिम रूप से आवंटित सीट/प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

जिस अभ्यर्थी की अनंतिम रूप से आवंटित सीट / प्रवेश को उपर्युक्त कारणों से रद्द कर दिया गया है, वह सीएसएएस-2022 के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का अधिकार खो देगा/देगी।

अध्याय - 10
अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश वापस लेना

ऐसा अभ्यर्थी जिसने प्रवेश लिया है, लेकिन वापस हटना चाहता/चाहती है, वह अपने डैशबोर्ड के माध्यम से 'विदड्रॉ' विकल्प का चयन करके और **1000.00 रुपये (अप्रतिदेय)** की निकासी शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता/सकती है।

अपना प्रवेश वापस लेने वाले अभ्यर्थी, सीएसएएस-2022 से बाहर हो जाएंगे। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के यूजी प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए अपनी पात्रता खो देंगे। किसी भी अनुवर्ती आवंटन दौर (यदि कोई हो) में किसी भी तरह की भागीदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्पॉट एडमिशन राउंड की घोषणा के बाद प्रवेश वापस लेने का कोई विकल्प नहीं होगा।

सलाह
अभ्यर्थी को प्रवेश तभी वापस लेना चाहिए जब वह दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ जारी नहीं रखने के बारे में सुनिश्चित हों।

अध्याय - 11
मिड एंट्री

जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर सीएसएएस-2022 के लिए आवेदन करने में विफल रहे और सीएसएएस-2022 में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे मिड-एंट्री विंडो (जब भी विश्वविद्यालय इसकी घोषणा करता है) के माध्यम से, **1000.00 रु. (अप्रतिदेय)** के मिड-एंट्री शुल्क का भुगतान करके भाग ले सकते हैं।

मिड-एंट्री करने वाले अभ्यर्थी पर आवंटन के लिए केवल तभी विचार किया जा सकता है जब वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने पहले आवेदन किया था और जिनके न्यूनतम घोषित स्कोर से अधिक योग्यता अंक हैं, उन्हें सीट आवंटित कर दी गई हो।

सीएसएएस-2022 के मध्य में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को, उन अभ्यर्थियों को आवंटित की गई सीटों पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, जिन्होंने प्रारंभिक आवेदन चरण के दौरान सीएसएएस-2022 में आवेदन किया था। ऐसे अभ्यर्थियों को सीटों के आवंटन पर अनुवर्ती दौर (यदि कोई हो) में, पात्रता मानदंड पूरा करने, सीटों की उपलब्धता और अन्य सीएसएएस-2022 नियमों के आधीन विचार किया जा सकता है।

मिड-एंट्रेंट (मध्य में प्रवेश लेने वाले) के लिए उसे आवंटित सीट, यदि पेशकश की जाती है, पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। आवंटित सीट को स्वीकार न करने पर अभ्यर्थी का दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। 'अपग्रेड' करने का कोई विकल्प नहीं होगा। किसी विशेष आवंटन दौर में आवंटित सीट अंतिम होगी और किसी भी अनुवर्ती आवंटन दौर में अपग्रेड नहीं की जाएगी।

मिड-एंट्री शुल्क के सफल प्रेषण के बाद ही मिड-एंट्री पर विचार किया जाएगा।

मात्र मिड-एंट्री के माध्यम से आवेदन करने पर सीएसएएस-2022 में सीट आवंटित होने की गारंटी नहीं है।

मिड-एंट्री में प्रदर्शन-आधारित प्रोग्रामों (बी.ए. (ऑनर्स) संगीत, बीएससी शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल) और ईसीए, स्पोर्ट्स सुपरन्यूमररी कोटा की अनुमति नहीं होगी।

अध्याय- 12
स्पॉट एडमिशन

नियमित सीएसएएस-2022 दौर के पूरा होने के बाद, यदि सीटें खाली रहती हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय 'स्पॉट एडमिशन के दौर की घोषणा कर सकता है।

जिन अभ्यर्थियों ने सीएसएएस-2022 के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिन्हें स्पॉट एडमिशन दौर की घोषणा की तारीख तक किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया था, वे स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं।

स्पॉट एडमिशन की घोषणा होने पर, पहले के सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश को लॉक कर दिया जाएगा और उन पर अपग्रेड के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसी तरह, प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्पॉट एडमिशन दौर में विचार किए जाने के लिए, अभ्यर्थी को अपने डैशबोर्ड के माध्यम से 'स्पॉट एडमिशन' का विकल्प चुनना होगा।

प्रत्येक स्पॉट एडमिशन दौर के लिए, विश्वविद्यालय प्रत्येक प्रोग्राम की रिक्त सीटों को प्रदर्शित करेगा। इच्छुक अभ्यर्थी केवल एक प्रोग्राम का चयन कर सकते हैं।

स्पॉट एडमिशन में, आवंटन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगाः

1. सीटों की उपलब्धता।
2. कार्यक्रम-विशिष्ट योग्यता।
3. कॉलेज की वरीयता का आदेश।
4. श्रेणी।
5. इस दस्तावेज़ (सीएसएएस-2022), यूजी बीओआई-2022 में यथाउल्लिखित या दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित कोई अन्य आवंटन नियम, नीतियाँ या मानदंड।

स्पॉट दौर में आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्पॉट एडमिशन दौर में आवंटित सीट को स्वीकार न करने पर अभ्यर्थी की दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्रता समाप्त हो जाएगी और वह सीएसएएस से बाहर हो जाएगा।

स्पॉट एडमिशन दौर में 'अपग्रेड' और 'विदड्रॉ' करने का कोई विकल्प नहीं होगा। **किसी विशेष स्पॉट एडमिशन दौर में आवंटित सीट अंतिम होगी** और स्पॉट एडमिशन दौर के किसी भी अनुवर्ती दौर में अपग्रेड नहीं की जाएगी।

अध्याय - 13
टाई-ब्रेकिंग नियम

टाई हो जाने की स्थिति में, जहाँ दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के प्रोग्राम + कॉलेज संयोजन के लिए एक ही सीयूईटी (यूजी)-2022 मेरिट स्कोर है, ऐसी स्थिति में टाई को तोड़ने के लिए निम्नलिखित नियम लागू किए जाएंगे:

1. बारहवीं कक्षा के सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों में कुल अंकों के उच्चतर प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
2. बारहवीं कक्षा के सर्वश्रेष्ठ 4 विषयों में कुल अंकों के उच्चतर प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
3. बारहवीं कक्षा के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों में कुल अंकों के उच्चतर प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
4. अभ्यर्थी की आयु; पूर्व जन्म-तिथि वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी (जैसाकि दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र में उल्लेख किया गया है)।

नोटः

1. यदि मार्कशीट में कक्षा XI और कक्षा XII दोनों के अंक हैं, तो केवल बारहवीं कक्षा के अंकों पर विचार किया जाएगा।
2. सिद्धांत, प्रयोग अथवा कुल जोड़ से संबंधित अंकों की प्रविष्टि में किसी भी विसंगति के लिए अभ्यर्थी पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।
3. यदि बारहवीं कक्षा की मार्कशीट में सीजीपीए/ग्रेड हैं, तो अभ्यर्थी को जारीकर्ता परीक्षा बोर्ड के अनुसार ग्रेड को समतुल्य अंकों/प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा (ग्रेड रूपांतरण के लिए अनुलग्नक II देखें)।

अध्याय-14
शुल्क का प्रेषण

प्रवेश शुल्क की सफल वसूली के बाद ही किसी अभ्यर्थी का प्रवेश पक्का माना जाएगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान केवल अभ्यर्थी के डैशबोर्ड के माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि प्रवेश शुल्क निर्धारित समय के भीतर सफलतापूर्वक जमा नहीं किया जाता है, तो प्रवेश किसी भी परिस्थिति में पूर्ण नहीं माना जाएगा।

सभी भुगतानों के लिए, अभ्यर्थियों को इनमें से किसी भी भुगतान मोड का उपयोग करना चाहिएः नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / यूपीआई।

14.1: वर्चुअल वॉलेट

प्रवेश शुल्क के सफल प्रेषण पर, अभ्यर्थी के लिए एक वर्चुअल वॉलेट बनाया जाएगा।

यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हो जाता है और अपग्रेड की गई सीट का प्रवेश शुल्क अभ्यर्थी के वर्चुअल वॉलेट में रखी राशि से अधिक है, तो उसे निर्धारित समय के भीतर अंतर राशि का भुगतान करना होगा।

सलाह

प्रवेश शुल्क का सफल भुगतान होने पर, अभ्यर्थी को भावी संदर्भ के लिए भुगतान की लेनदेन आईडी / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग विवरण और लेनदेन की तारीख का रिकॉर्ड रखना होगा।

यदि अपग्रेड की गई सीट का प्रवेश शुल्क अभ्यर्थी के वर्चुअल वॉलेट की राशि से कम है, तो कॉलेज से अनुमोदन प्राप्त होने पर इसे ऑटो डेबिट कर दिया जाएगा।

14.2: भुगतान विफलता

1. यदि खाते से राशि नहीं काटी गई है, तो अभ्यर्थी को भुगतान की समय सीमा से पहले फिर से भुगतान करने का प्रयास करना चाहिए।
2. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग किया जाए।
3. सफल भुगतान करने के लिए अभ्यर्थी को सही क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना चाहिए।
4. यदि राशि काट ली गई है, लेकिन कोई अधिसूचना प्राप्त नहीं होती है, तो अभ्यर्थी अपने स्रोत बैंक से इस संबंध में पुष्टि प्राप्त कर सकता है।

सलाह

अंतिम समय में जल्दबाजी से बचने के लिए उम्मीदवारों को समय सीमा से पहले शुल्क भुगतान प्रक्रिया को अच्छी तरह से पूरा करना होगा।

5. यदि स्रोत बैंक से सफल लेनदेन की पुष्टि की जाती है और डैशबोर्ड पर भुगतान विफलता दिखाई देती रहती है। उस स्थिति में, अभ्यर्थी निम्नलिखित नंबरों पर सोमवार से शनिवार (दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर) सुबह 9.30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच आईसीआईसीआई ईज़ीपे पेमेंट गेटवे हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

फोनः +91-9871985944, +91-9667640628

ई-मेल पताः dupaymentquery@icicibank.com

भुगतान से संबंधित प्रश्नों के लिए, कृपया नीचे दिए गए मानक प्रारूप का उपयोग करें:

अभ्यर्थी का नाम	लेनदेन की तिथि	लेन-देन संख्या / आईडी	पाठ्यक्रम लागू किया	ईमेल आईडी	दिल्ली विश्वविद्यालय आवेदन में दर्ज मोबाइल नं.	प्रश्न का प्रकार
####	दिन/माह/वर्ष	2#########	जैसे, बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी	अभ्यर्थी की पंजीकृत ईमेल आईडी	अभ्यर्थी का पंजीकृत मोबाइल नं.	#####

अध्याय-15
भुगतान वापसी की नीति

अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश वापस लेने के कारण प्रवेश शुल्क केवल तभी पूरी तरह से वापस किया जाएगा, यदि प्रवेश वापसी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा यथाघोषित प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले की गई है। **प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश वापस लेने पर प्रवेश शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।**

निम्नलिखित के लिए धनवापसी नहीं की जाएगी:

क) सीएसएएस-2022 आवेदन शुल्क।

ख) मिड-एंट्री शुल्क।

ग) शुल्क वापसी।

अध्याय-16
मूल दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन की अनिवार्य अपेक्षा

सीएसएएस-2022 के समापन पर, प्रवेश-प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश वाले कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा और दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के भौतिक सत्यापन सहित संबंधित कॉलेज की प्रवेश संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।

अभ्यर्थी का प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम है और संबंधित कॉलेज द्वारा मूल दस्तावेजों के सत्यापन के आधीन है। कॉलेज सभी दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की पुनः जांच करेगा। भौतिक सत्यापन के दौरान, यदि कोई दस्तावेज / प्रमाणपत्र अपर्याप्त / अपूर्ण / अनुपयुक्त पाया जाता है, तो इसी तथ्य के आधार पर प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसा अभ्यर्थी शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी यूजी प्रोग्राम में प्रवेश के अवसर को खो देगा।

अध्याय-17
बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में परिवर्तन

सीएसएएस-2022 आवेदन पत्र के बंद होने के बाद परीक्षा बोर्ड द्वारा किसी अभ्यर्थी की बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति (अंकों के जोड़ की पुन: जांच, पुनर्मूल्यांकन आदि के कारण) बदल सकती है। केवल सीट आवंटन अवधि के दौरान उत्तीर्ण स्थिति में ऐसे परिवर्तन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लागू होंगे:

क) बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में परिवर्तन के कारण, कोई अभ्यर्थी 'न्यूनतम सामान्य पात्रता' (अर्थात्, अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए) मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण अपात्र हो सकता है। ऐसे मामले में, अभ्यर्थी सीट आवंटन / स्वीकृति / दस्तावेज सत्यापन के किसी भी चरण में या बाद के चरण में भी अपात्र होगा। ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश इस संबंध में बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जाएगा।

ख) कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण करने की स्थिति में परिवर्तन के कारण, यदि कोई अभ्यर्थी 'न्यूनतम सामान्य पात्रता' (अर्थात अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए) मानदंडों को पूरा करता है और प्रवेश के लिए पात्र हो जाता है, तो ऐसा अभ्यर्थी मिड-एंट्री के माध्यम से सीएसएएस-2022 में आवेदन कर सकता है।

ऐसे सभी मामलों में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अध्याय-18
अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्रवेश

दिल्ली विश्वविद्यालय अपने छह (6) अल्पसंख्यक कॉलेजों में सिख और ईसाई अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान करता है। अल्पसंख्यक कॉलेजों में, 50% सीटें अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए हैं और 50% अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।

ईसाई अल्पसंख्यक:

जीसस एंड मैरी कॉलेज (डब्ल्यू)
सेंट स्टीफंस कॉलेज

सिख अल्पसंख्यकः

माता सुंदरी कॉलेज (डब्ल्यू)
श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स
श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज
श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज

सीएसएएस 2022 में आवेदन करते समय अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

सिख अल्पसंख्यक श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) से उनके अल्पसंख्यक दर्जे को प्रमाणित करने के लिए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ईसाई अल्पसंख्यक श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित ईसाई अल्पसंख्यक कॉलेज की अपेक्षाओं के अनुसार अपना बपतिस्मा प्रमाणपत्र और/या चर्च सदस्यता प्रमाणपत्र अपलोड और प्रस्तुत करना होगा।

अध्याय-19
प्रवेश शिकायत निवारण

19.1: कॉलेज शिकायत निवारण समिति

प्रवेश के दौरान उत्पन्न होने वाली शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक कॉलेज एक शिकायत निवारण समिति का गठन करेगा। इसके अलावा, एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/अल्पसंख्यक और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के अभ्यर्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण उप-समिति भी स्थापित की जाएगी। कॉलेज शिकायत निवारण समिति और उप-समिति का विवरण कॉलेज की वेबसाइट और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि निर्धारित समय के भीतर अभ्यर्थियों की जरूरतों/प्रश्नों का समाधान किया जा सके और उनके लिए सुसाध्य बनाया जा सके। प्रवेश को लेकर शिकायत वाले अभ्यर्थियों को पहले संबंधित कॉलेज की शिकायत निवारण समिति से संपर्क करना चाहिए।

19.2: केंद्रीय शिकायत निवारण समिति

यदि कॉलेज द्वारा उचित समय के भीतर शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है, तो अभ्यर्थी दिल्ली विश्वविद्यालय की केंद्रीय शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकते हैं। यह समिति अभ्यर्थियों के आवंटन और प्रवेश संबंधी मुद्दों का समाधान करेगी। केंद्रीय शिकायत निवारण समिति का विवरण दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

सलाह
उम्मीदवारों को प्रवेश शिकायत निवारण समितियों से संपर्क करने के लिए पहले ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए।

यदि कोई शिकायत प्रासंगिक और वास्तविक पाई जाती है, और यदि किसी विशिष्ट प्रोग्राम + कॉलेज संयोजन में सीटें भरी गई हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को एक सुपरन्यूमररी सीट की पेशकश की जाएगी। शिकायतों के संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

एनसीडब्ल्यूईबी, ईसीए, स्पोर्ट्स सुपरन्यूमररी कोटा और सीडब्ल्यू से जुड़ी प्रवेश संबंधी शिकायतों का निवारण दिल्ली विश्वविद्यालय की संबंधित समितियों द्वारा किया जाएगा।

अध्याय - 20
प्रदर्शन आधारित प्रोग्रामों में प्रवेश
बी.ए. (ऑनर्स) संगीत और बी.एससी. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल

20.1: प्रदर्शन आधारित प्रोग्रामों के लिए सामान्य सूचना

1. बी.ए (ऑनर्स) संगीत और बी.एससी. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल (बी.एससी. (पीई, एचई एंड एस)) के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रदर्शन-आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा।
2. योग्यता सूची के लिए, 50% वेटेज प्रोग्राम-विशिष्ट पात्रता से प्राप्त सीयूईटी (यूजी)-2022 स्कोर को दिया जाएगा, और 50% वेटेज प्रदर्शन-आधारित परीक्षा में प्राप्त स्कोर को दिया जाएगा।
3. संगीत विभाग और शारीरिक शिक्षा विभाग आरंभ में ऑफ़लाइन प्रदर्शन-आधारित परीक्षा/परीक्षण के लिए सीयूईटी (यूजी) - 2022 स्कोर के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में स्वीकृत सीटों की संख्या के 7 (सात) गुना अभ्यर्थियों को बुलाएगा। इन अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शन-आधारित परीक्षा एक सप्ताह के भीतर पूरी हो जाएगी, और अंक 7 कार्य दिवसों के भीतर सिस्टम पर अपलोड कर दिए जाएंगे। यदि आवश्यक हो, तो सीटों को भरने के लिए और अधिक अभ्यर्थियों को प्रदर्शन-आधारित परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है।

20.2: बी.ए. (ऑनर्स) संगीत

1. बी.ए. (ऑनर्स) संगीत के लिए प्रदर्शन-आधारित परीक्षा (ऑडिशन) अधिकतम 100 अंकों की होगी।
2. जिस अभ्यर्थी का कक्षा 12 में संगीत विषय नहीं है, उसे ऐसा प्रमाणपत्र/मार्कशीट प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दिखाया गया हो कि उसने कम से कम तीन साल तक किसी गुरु / मान्यता प्राप्त संगीत संस्थान से संगीत सीखा है।
3. अभ्यर्थी को सीएसएएस-2022 में आवेदन करते समय नीचे दिए गए पॉइंट 5.(क), 5.(ख) में बताए गए अनुसार संस्थानों द्वारा जारी एक (01) प्रमाणपत्र/मार्कशीट अपलोड करना होगा।
4. प्रमाणपत्र और मार्कशीट गुरु/संस्थान के लेटरहेड पर होनी चाहिए।
5. केवल निम्नलिखित गुरु/संस्थानों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/मार्कशीट पर विचार किया जाएगाः
    - *क)* हिंदुस्तानी संगीत (वोकल / इंस्ट्रुमेंटल) और पर्क्यूशन संगीत में बी.ए. (ऑनर्स) संगीत के लिए:
        - i. भातखंडे संगीत विद्यापीठ (मुख्य शाखाएँ)
        - ii. गंधर्व महाविद्यालय मंडल (मुख्य शाखाएँ)
        - iii. प्रयाग संगीत समिति (मुख्य शाखाएँ)
        - iv. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (मुख्य शाखाएँ)
        - v. भारतीय विद्या भवन (मुख्य शाखाएं)
        - vi. भारतीय कला केंद्र, नई दिल्ली
        - vii. संगीत भारती, नई दिल्ली
        - viii. त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्ली
        - ix. प्राचीन कला केंद्र, चंडीगढ़
    - *ख)* कर्नाटक संगीत (गायन / वाद्य) में बी.ए. (ऑनर्स) संगीत के लिए:
        - i. संगीत अकादमी, चेन्नई, तमिलनाडु से डिप्लोमा प्रमाण पत्र।
        - ii. तकनीकी बोर्ड, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संगीत में सर्टिफिकेट कोर्स।
        - iii. संगीत में उच्च / निम्न ग्रेड का प्रमाण पत्र, कर्नाटक सरकार।
        - iv. भारतीय सेवा संघ, पालघाट, केरल द्वारा संगीत में राग संपूर्ण सर्टिफिकेट कोर्स
        - v. प्राचीन कला केंद्र, चंडीगढ़

20.2.1 प्रदर्शन-आधारित परीक्षा के लिए अंकन योजना

1. हिंदुस्तानी संगीत-गायन और वाद्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शन-आधारित परीक्षा (ऑडिशन) के लिए अंकन योजना निम्नानुसार होगी-

क्र.सं.	अंक	वेटेज	मानदंड
1.	50	50%	अपनी पसंद के राग में विलम्बित और द्रुत रचनाएँ (कंठ संगीत) तथा मसीतखानी और रज़ाखानी गत (वाद्य संगीत)
2.	20	20%	सुर एवं ताल
3.	20	20%	आलाप और तान
4.	10	10%	सौंदर्य और समग्र प्रस्तुति

2. कर्नाटक संगीत- गायन एवं वादन के आवेदकों के लिए प्रदर्शन-आधारित परीक्षण (ऑडिशन) के लिए अंकन योजना निम्नानुसार होगी-

क्र.सं.	अंक	वेटेज	मानदंड
1.	25	25%	कर्नाटक संगीत रचनाएँ (अभ्यर्थी के राग की पसंद)
2.	20	20%	अभ्यर्थी द्वारा प्रदान की गई रचनाओं (राग-एस) में विशेषज्ञों की पसंद
3.	25	25%	ताल-लय पर कमांड (नियंत्रण)
4.	10	10%	सुधार करने की क्षमता (अलपना/नेरावल/स्वर कल्पना)
5.	20	20%	श्रुति/स्वर स्थान (नोट्स की सही पिच एवं सही स्थान), समग्र प्रस्तुति आदि को बनाए रखने में प्रवीणता।

3. हिंदुस्तानी संगीत - तालवाद्य के आवेदकों के लिए प्रदर्शन-आधारित परीक्षण (ऑडिशन) के लिए अंकन योजना इस प्रकार होगी -

क्र.सं.	अंक	वेटेज	मानदंड
1.	50	50%	ताल, बोल, रचनाएँ
2.	25	25%	तकनीक
3.	25	25%	समग्र प्रस्तुति

20.2.2 सभी अभ्यर्थियों (दिल्ली एनसीआर के बाहर के लोगों सहित) के लिए प्रदर्शन-आधारित परीक्षा आयोजित करने का विवरणः

1. सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शन-आधारित परीक्षा का स्थान है:
   संगीत विभाग
   संगीत और ललित कला संकाय
   दिल्ली विश्वविद्यालय
   दिल्ली - 110007
2. परीक्षा केवल ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. दिल्ली एनसीआर से बाहर के अभ्यर्थियों की प्रदर्शन-आधारित परीक्षा समग्र सूची के वर्णानुक्रम के अनुसार की जाएगी। बाहर से आए अभ्यर्थियों के लिए कोई अलग सूची तैयार नहीं की जाएगी।
4. टेस्ट के समय, उम्मीदवारों को एनटीए द्वारा आयोजित सीयूईटी (यूजी) 2022 के परिणाम की एक हार्ड कॉपी लाने की आवश्यकता होती है।

5. उम्मीदवारों के माता-पिता/अभिभावक/रिश्तेदारों को कार्यक्रम स्थल के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।
6. अभ्यर्थियों को संगीत विभाग की वेबसाइट - music.du.ac.in पर अथवा विभाग के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन-आधारित परीक्षा की अपनी संबंधित तिथियों की जांच करनी होगी।
7. संगीत विभाग प्रदर्शन-आधारित परीक्षा के लिए वाद्य उपकरण और संगतकार की व्यवस्था करेगा। जो अभ्यर्थी अपने स्वयं के वाद्य उपकरण लाना चाहते हैं, वे विभाग के कार्यालय में निर्धारित समय से काफी पहले उचित पंजीकरण करने के बाद ऐसा कर सकते हैं।
8. हारमोनियम / सारंगी संगत की अनुमति केवल बीए (ऑनर्स) संगीत, (ताल वाद्य संगीत) के अभ्यर्थियों के लिए होगी और बी.ए. (ऑनर्स) संगीत (हिंदुस्तानी कंठ संगीत) के अभ्यर्थियों के लिए नहीं होगी।
9. उम्मीदवारों को प्रदर्शन-आधारित टेस्ट के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
10. किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन प्रदर्शन-आधारित परीक्षा में बैठने के लिए कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

20.3: बी.एससी. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल (बी.एससी. (पीई, एचई एंड एस))

1. बी.एससी. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल, (बी.एससी. (पीई, एचई एंड एस)) में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार, 50% वेटेज सीयूईटी स्कोर को दिया जाएगा और 50% वेटेज खेल प्रदर्शन-आधारित परीक्षा के लिए है जिसे खेल प्रवीणता परीक्षा (स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट) भी कहा जाता है।
2. खेल प्रवीणता परीक्षा के 50% अंक निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार होंगे:

   (i) स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट: 30% वेटेज

   (ii) स्पोर्ट्स फिटनेस: 20% वेटेज
3. खेल प्रदर्शन की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए सीएसएएस-2022 आवेदन पत्र में अधिकतम तीन श्रेष्ठतम खेल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। केवल श्रेष्ठतम खेल उपलब्धि को ही खेल प्रवीणता अंक के रूप में माना जाएगा।
4. अभ्यर्थी का एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आवेदन पत्र में जमा किया जाना चाहिए। (प्रमाणपत्र के निर्धारित प्रारूप के लिए अनुबंध-IV देखें)।
5. खेल प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2022 के बीच जारी किया जाने चाहिए।

20.3.1 खेल प्रवीणता भारांक (एसपीडब्ल्यू-I) अंतरराष्ट्रीय:

क्रीडा / खेल प्रतियोगिता का स्तर	पदक / भागीदारी	30 में से दिए जाने वाले अंक	प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकरण
ओलंपिक खेल / विश्व चैम्पियनशिप / विश्व कप / राष्ट्रमंडल खेल / एशियाई खेलों / एशियाई चैम्पियनशिप / दक्षिण एशियाई खेल / पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया	स्वर्ण	30	आईओसी/आईएसएफ/सीजीएफ/ओसीए/एसएओसी/आईपीसी/आईओए/एनएसएफ युवा कार्य और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित।
	रजत	25	
	कांस्य	23	
	भागीदारी	21	

नोटः योग की अनुमति केवल खेलो इंडिया स्कूल गेम्स और एसजीएफआई (गेम्स) के लिए है।

एसपीडब्ल्यू-2 से एसपीडब्ल्यू-6 को खेल प्रवीणता अंक प्रदान करने के लिए खेल/खेल की सूची:

टीम खेल	डुअल और कॉम्बैट स्पोर्ट्स	व्यक्तिगत खेल
बेसबॉल (एम); बास्केटबॉल (एम एंड डब्ल्यू); क्रिकेट (एम एंड डब्ल्यू); फुटबॉल (एम एंड डब्ल्यू); हैंडबॉल (एम एंड डब्ल्यू); हॉकी (एम एंड डब्ल्यू); कबड्डी (एम एंड डब्ल्यू); खो-खो (एम एंड डब्ल्यू); नेटबॉल (डब्ल्यू); सॉफ्टबॉल (डब्ल्यू) और वॉलीबॉल (एम एंड डब्ल्यू)	बैडमिंटन (एम एंड डब्ल्यू); बॉक्सिंग (एम एंड डब्ल्यू); जिम्नास्टिक (एम एंड डब्ल्यू); जूडो (एम एंड डब्ल्यू); स्क्वैश (एम एंड डब्ल्यू); टेबल-टेनिस (एम एंड डब्ल्यू); तायक्वोंडो (केवल क्यूसुगी) (एम एंड डब्ल्यू); टेनिस (एम एंड डब्ल्यू) और कुश्ती (केवल फ्रीस्टाइल) (एम एंड डब्ल्यू)	तीरंदाजी (केवल रिकर्व और कंपाउंड) (एम एंड डब्ल्यू); एथलेटिक्स (एम एंड डब्ल्यू); शतरंज (एम एंड डब्ल्यू); डाइविंग (एम एंड डब्ल्यू); शूटिंग (केवल 10 मीटर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल) (एम एंड डब्ल्यू), तैराकी (एम एंड डब्ल्यू) और भारोत्तोलन (एम एंड डब्ल्यू)

20.3.2. खेल प्रवीणता वेटेज एसपीडब्ल्यू-2:

क्रीडा / खेल प्रतियोगिता का स्तर	पदक / भागीदारी	दिए जाने वाले अंक	प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकरण
सीनियर नेशनल/जूनियर नेशनल/ऑल इंडिया इंटरस्टेट/ऑल इंडिया इंटरजोनल/ नेशनल गेम्स/फेडरेशन कप/ खेलो इंडिया गेम्स नोट: केवल सूचीबद्ध खेलों पर विचार किया जाएगा)	स्वर्ण	18	संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ / संघ जिसको खेलो इंडिया गेम्स एंड क्रिकेट (बीसीसीआई) को छोड़कर आई.ओ.ए. से संबद्ध होना चाहिए।
	रजत	15	
	कांस्य	13	
	भागीदारी	8	

20.3.3. खेल प्रवीणता वेटेज एसपीडब्ल्यू-3:

क्रीडा / खेल प्रतियोगिता का स्तर	पदक / भागीदारी	दिए जाने वाले अंक	प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकरण
नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया / खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। नोटः केवल सूचीबद्ध खेलों पर विचार किया जाएगा।	स्वर्ण	14	एसजीएफआई / युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकृत निकाय।
	रजत	12	
	कांस्य	10	
	भागीदारी	7	

20.3.4. खेल प्रवीणता वेटेज एसपीडब्ल्यू-4:

क्रीडा / खेल प्रतियोगिता का स्तर	पदक / भागीदारी	दिए जाने वाले अंक	प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकरण
इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट चैंपियनशिप / स्टेट चैंपियनशिप / महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप / ग्रामीण राष्ट्रीय चैंपियनशिप / सीबीएसई नेशनल / केवीएस नेशनल / डीएवी नेशनल चैंपियनशिप। नोट: केवल सूचीबद्ध खेलों पर विचार किया जाएगा।	स्वर्ण	6	संबंधित राज्य के खेल/खेल निकाय जिन्हें राष्ट्रीय निकाय से संबद्ध होना चाहिए जो आगे आई.ओ.ए. से संबद्ध है।
	रजत	5	
	कांस्य	4	

20.3.5. खेल प्रवीणता वेटेज एसपीडब्ल्यू-5:

क्रीडा / खेल प्रतियोगिता का स्तर	पदक / भागीदारी	दिए जाने वाले अंक	प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकरण
स्कूल स्टेट चैंपियनशिप / दिल्ली स्कूल इंटर जोनल / जिला लेवल (ओपन) चैंपियनशिप / नवोदय नेशनल / पब्लिक स्कूल नेशनल / सीबीएसई रीजनल/ स्टेट वॉमेन रूरल चैंपियनशिप / राष्ट्रीय सैनिक स्कूल चैंपियनशिप नोटः केवल सूचीबद्ध खेलों पर विचार किया जाएगा।	स्वर्ण	4	संबंधित आयोजन निकाय।
	रजत	3	
	कांस्य	2	

20.3.6. खेल प्रवीणता वेटेज एसपीडब्ल्यू-6:

क्रीडा / खेल प्रतियोगिता का स्तर	पदक / भागीदारी	दिए जाने वाले अंक	प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकरण
दिल्ली स्कूल जोनल / केवीएस रीजनल / सीबीएसई क्लस्टर / नवोदय रीजनल / डीएवी रीजनल / रीजनल सैनिक स्कूल चैंपियनशिप। नोटः केवल सूचीबद्ध खेलों पर विचार किया जाएगा।	स्वर्ण	3	संबंधित आयोजन निकाय।
	रजत	2	
	कांस्य	1	

20.3.7. खेल प्रवीणता स्वास्थ्य परीक्षा

शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्ररूप में खेल प्रवीणता परीक्षा के लिए फिटनेस टेस्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है (अनुलग्नक-IV)।

संशोधित कनाडाई शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा का उपयोग किया जाएगा। परीक्षा का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

	पुरुष		महिला
(क)	8' लंबी कूद	(क)	5' लंबी कूद
(ख)	5' ऊंचाई का वॉल्टिंग हॉर्स जंप	(ख)	4' ऊंचाई का वॉल्टिंग हॉर्स जंप
(ग)	4'8' नदी की चौड़ाई को 7 बार पार करना।	(ग)	3'6' नदी की चौड़ाई को 5 बार पार करना।
(घ)	91.4 सेमी ऊंचाई की बाधा रेस को पार करना।	(घ)	76.2 सेमी ऊंचाई की बाधा रेस को पार करना।
(ङ)	मैट (चटाई) पर फॉरवर्ड रोल (एक)	(ङ)	मैट (चटाई) पर फॉरवर्ड रोल (एक)
(च)	मैट पर एक फॉरवर्ड रोल के बाद फिनिश लाइन/ स्टार्टिंग पॉइंट तक अंतिम लाइन से दौड़ना।	(च)	मैट पर एक फॉरवर्ड रोल के बाद फिनिश लाइन/स्टार्टिंग पॉइंट तक अंतिम लाइन से दौड़ना।

नोटः

1. बी.एससी. (पीई, एचईएंडएस) में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को समय सीमा के बावजूद बिना किसी नियम-उल्लंघन के शारीरिक फिटनेस परीक्षण पूरा करना होगा।
2. हालांकि, अभ्यर्थी को अंक केवल तालिका क के अनुसार दिए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी इतने समय में कार्य करता है जिसका उल्लेख तालिका क (38 सेकंड से अधिक) में नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थी को उसके प्रदर्शन के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी 23.15 सेकेंड या उससे कम समय में कार्य पूरा करता है तो उसे 20 अंक दिए जाएंगे।
3. प्रत्येक अभ्यर्थी को अधिकतम तीन मौके/ट्रायल दिए जाएंगे।
4. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा को अधूरा छोड़ देता है, तो उसे उस परीक्षा/अवसर के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

तालिका क

लिया गया समय (सेकंड में)	स्कोर	लिया गया समय (सेकंड में)	स्कोर	लिया गया समय (सेकंड में)	स्कोर
38.15	0.00	31.40	9.00	24.65	18.00
38.00	0.20	31.25	9.20	24.50	18.20
37.85	0.40	31.10	9.40	24.35	18.40
37.70	0.60	30.95	9.60	24.20	18.60
37.55	0.80	30.80	9.80	24.05	18.80
37.40	1.00	30.65	10.00	23.90	19.00
37.25	1.20	30.50	10.20	23.75	19.20
37.10	1.40	30.35	10.40	23.60	19.40
36.95	1.60	30.20	10.60	23.45	19.60
36.80	1.80	30.05	10.80	23.30	19.80
36.65	2.00	29.90	11.00	23.15	20.00
36.50	2.20	29.75	11.20		
36.35	2.40	29.60	11.40		
36.20	2.60	29.45	11.60		
36.05	2.80	29.30	11.80		
35.90	3.00	29.15	12.00		
35.75	3.20	29.00	12.20		
35.60	3.40	28.85	12.40		
35.45	3.60	28.70	12.60		
35.30	3.80	28.55	12.80		
35.15	4.00	28.40	13.00		
35.00	4.20	28.25	13.20		
34.85	4.40	28.10	13.40		
34.70	4.60	27.95	13.60		
34.55	4.80	27.80	13.80		
34.40	5.00	27.65	14.00		
34.25	5.20	27.50	14.20		
34.10	5.40	27.35	14.40		
33.95	5.60	27.20	14.60		
33.80	5.80	27.05	14.80		
33.65	6.00	26.90	15.00		
33.50	6.20	26.75	15.20		
33.35	6.40	26.60	15.40		
33.20	6.60	26.45	15.60		
33.05	6.80	26.30	15.80		
32.90	7.00	26.15	16.00		
32.75	7.20	26.00	16.20		
32.60	7.40	25.85	16.40		
32.45	7.60	25.70	16.60		
32.30	7.80	25.55	16.80		
32.15	8.00	25.40	17.00		

32.00	8.20	25.25	17.20		
31.85	8.40	25.10	17.40		
31.70	8.60	24.95	17.60		
31.55	8.80	24.80	17.80		

अभ्यर्थी को तालिका क के आधार पर अंक दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई अभ्यर्थी 28.10 सेकेंड में कार्य पूरा करता है, तो उसे 13.40 अंक दिए जाएंगे इत्यादि। हालांकि, यदि कोई अभ्यर्थी 23.15 सेकेंड और उससे कम समय में कार्य पूरा करता है तो उसे 20 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा, यदि कोई अभ्यर्थी 23.16 सेकेंड और उससे अधिक लेकिन 23.30 सेकेंड से कम समय में कार्य पूरा करता है तो उसे 19.80 अंक दिए जाएंगे।

Illustration of Physical Fitness Test for Admission to B.Sc. (PE, HE & Sports) 2022-23

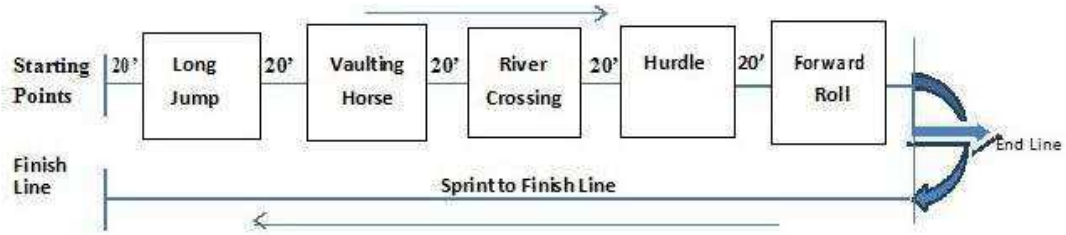

The Candidate will sprint after crossing the End Line up to Finish Line/Starting Point						
	Long Jump	Vaulting Horse	River Crossing	Hurdles	Forward Roll	Sprint
MEN	8'	5'	4'8" (7 times)	91.4cms	On mat (one)	Sprint to Finish Line
WOMEN	5'	4'	3'6" (5 times)	76.2 cms	One mat (one)	

अध्याय - 21
पाठ्येतर कार्यकलाप (ईसीए) और खेलकूद के आधार पर प्रवेश (सुपरन्यूमररी कोटा)

ईसीए और खेल के लिए सुपरन्यूमररी कोटा हेतु प्रत्येक के कम से कम 1% (कॉलेज की कुल प्रवेश क्षमता का) का प्रतिनिधित्व सभी कॉलेजों के लिए अनिवार्य है, जो ईसीए और स्पोर्ट्स के लिए दोनों को मिलाकर कॉलेज की कुल प्रवेश क्षमता के 5% की अधिकतम सीमा के आधीन है। कॉलेजों को खेल और ईसीए सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और सभी विद्यार्थियों को इंटर-क्लास प्रतियोगिताओं एवं सामूहिक भागीदारी की शुरुआत करके खेल और पाठ्येतर कार्यकलाप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

ईसीए और खेल दोनों के लिए, केवल 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2022 की समयावधि के बीच जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर विचार किया जाएगा।

21.1: पाठ्येतर कार्यकलाप (ईसीए) कोटा

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए ईसीए कोटे के माध्यम से प्रवेश 14 ईसीए श्रेणियों में किया जाएगा। हालाँकि, इन श्रेणियों और उप-श्रेणियों में प्रवेश उनके संबंध में कॉलेजों द्वारा प्रवेश की पेशकश किए जाने के आधीन होगा:

क्र.सं.	श्रेणी	उप-श्रेणी
1	रचनात्मक लेखन	1.a रचनात्मक लेखन (हिन्दी) 1.b रचनात्मक लेखन (अंग्रेजी)
2	नृत्य	2.a नृत्य: भारतीय शास्त्रीय 2.b नृत्य: भारतीय फोल्क 2.c नृत्य: पश्चिमी 2.d नृत्य: कोरियोग्राफ़ी
3	डिबेट	3.a डिबेटः हिंदी 3.b डिबेटः अंग्रेजी
4	डिजीटल मीडिया	4.a डिजीटल मीडियाः फोटोग्राफी 4.b डिजीटल मीडियाः फिल्म मेकिंग 4.c डिजीटल मीडियाः एनीमेशन
5	ललित कला	5.a ललित कलाः स्केचिंग और पेंटिंग 5.b ललित कलाः मूर्तिकला
6	संगीत (गायन)	6.a संगीत (गायन): भारतीय 6.b संगीत (गायन): पश्चिमी
7	संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय)	7.a संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) तबला 7.b संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) मृदंगम 7.c संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) ढोलक 7.d संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) पखावज 7.e संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) घाटम 7.f संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) हारमोनियम 7.g संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) बांसुरी

		7.h संगीत (वाद्य यंत्र: भारतीय) सितार 7.i संगीत (वाद्य यंत्र: भारतीय) वायलिन 7.j संगीत (वाद्य यंत्र: भारतीय) सरोद 7.k संगीत (वाद्य यंत्र: भारतीय) संतूर
8	संगीत (वाद्य यंत्रः पश्चिमी)	8.a संगीत (वाद्य यंत्र: पश्चिम) ड्रम 8.b संगीत (वाद्य यंत्र: पश्चिम) पश्चिमी बांसुरी 8.c संगीत (वाद्य यंत्र: पश्चिम) सैक्सोफोन 8.d संगीत (वाद्य यंत्र: पश्चिम) गिटार (लीड) 8.e संगीत (वाद्य यंत्र: पश्चिम) गिटार (बैस) 8.f संगीत (वाद्य यंत्र: पश्चिम) वायलिन 8.g संगीत (वाद्य यंत्र: पश्चिम) कीबोर्ड
9	थिएटर	--
10	क्विज	--
11	देवत्व (केवल सिख अल्पसंख्यक कॉलेज के लिए लागू)	--
12	एनसीसी	--
13	एनएसएस	--
14	योगा	--

1. अभ्यर्थी अधिकतम तीन ईसीए श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, प्रवेश केवल एक श्रेणी में दिया जाएगा।
2. प्रत्येक ईसीए श्रेणी के लिए जिसमें अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है, उसे 1 अप्रैल 2017 - 30 जून 2022 की समयावधि के बीच जारी किए गए पिछले पांच वर्षों के अधिकतम पांच सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे।
3. आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कॉलेज-वार ईसीए सीट मैट्रिक्स और विभिन्न कॉलेजों में ईसीए श्रेणियों/उप-श्रेणियों की उपलब्धता देखें (admission.uod.ac.in पर प्रकाशित)।
4. सभी कॉलेजों के लिए ईसीए सुपरन्यूमररी कोटा के लिए आवंटन विश्वविद्यालय की केंद्रीय ईसीए प्रवेश समिति के माध्यम से होता है।
5. ईसीए सुपरन्यूमररी कोटा के तहत प्रवेश के लिए, अभ्यर्थी के संयुक्त ईसीए मेरिट (सीईएम) स्कोर पर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थी का सीईएम स्कोर उन सभी प्रोग्रामों के उच्चतम प्रोग्राम-विशिष्ट सीयूईटी प्रतिशत स्कोर का 25% जिसमें उसने आवेदन किया है और ईसीए श्रेणियों से प्राप्त उच्चतम ईसीए स्कोर का 75% जिसके लिए अभ्यर्थी पर विचार किया जा रहा है, का योग होगा।
6. ईसीए स्कोर के लिए अधिकतम अंक 75 होंगे, जिसमें शारीरिक परीक्षण में प्रदर्शन और/अथवा अपलोड किए गए प्रमाणपत्र, जैसा भी लागू हो, शामिल है।
7. 75 अंकों के ईसीए स्कोर के लिए, सभी 12 श्रेणियों (एनसीसी और एनएसएस को छोड़कर) के लिए, 60 अंक शारीरिक परीक्षण के आधार पर दिए जाएंगे और 15 अंक जमा किए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर दिए जाएंगे।
8. शारीरिक परीक्षणों में प्रदर्शन के लिए अंक प्रदान करने में, निर्णायकों का विवेक अंतिम और बाध्यकारी होगा।
9. ईसीए सुपरन्यूमररी कोटे के माध्यम से प्रवेश पाने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से एक शपथपत्र जमा करना होगा, जिसमें कहा गया हो कि अपने स्नातक अध्ययन की पूरी अवधि में, वे ईसीए श्रेणी के तहत, जिसके लिए उन्हें कॉलेज में प्रवेश दिया गया है, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए कार्यकलाप में भाग लेंगे। ऐसा न करने पर कॉलेज को यह अधिकार है कि वह अध्ययन की पूरी अवधि के दौरान किसी भी समय अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर सकता है।

10. ईसीए प्रवेश 2022-23 के लिए कॉलेज-वार ईसीए सीट मैट्रिक्स, विवरण और शारीरिक परीक्षणों की अनुसूची (जहाँ लागू हो), और अन्य अतिरिक्त जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी। अभ्यर्थियों को ईसीए कोटा के तहत प्रवेश संबंधी सभी सूचनाओं के लिए नियमित रूप से वेबसाइट की जांच करते रहना चाहिए।

21.1.1 प्रमाणपत्र अंकन योजना

1. अभ्यर्थियों को सीएसएएस-2022 आवेदन पत्र भरते समय प्रासंगिक ईसीए प्रमाणपत्र अपलोड करना आवश्यक है। अपलोड किए गए प्रमाणपत्र ऑफलाइन परीक्षणों (जहाँ भी लागू हो) के लिए भी लाए जाने होंगे। किसी अन्य/नए प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. अपलोड किए गए पांच प्रमाणपत्रों में से, अभ्यर्थी को प्रमाणपत्र अंकन मानदंड के अनुसार केवल तीन सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्रों के आधार पर अंक दिए जाएंगे।
3. जब शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ भी लागू हो, अभ्यर्थियों को सभी ईसीए प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ और कार्यालय रिकॉर्ड के लिए फोटोकॉपी के दो सेट लाने होंगे। अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण के समय मूल्यांकन दल की उपस्थिति में प्रमाणपत्र अंकन के आधार पर दिए जा रहे अंकों पर प्रति-हस्ताक्षर करने होंगे।
4. चूंकि प्रमाणपत्रों को अभ्यर्थी (एनसीसी और एनएसएस श्रेणियों को छोड़कर) की उपस्थिति में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार अंक दिए जाएंगे, बाद में प्रमाणपत्रों को अंक दिए जाने के संबंध में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. एनसीसी और एनएसएस श्रेणियों के लिए अपलोड किए गए ईसीए प्रमाणपत्रों के अंक प्रदान करने से संबंधित शिकायतों का निवारण विश्वविद्यालय की ईसीए शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
6. किसी भी परिस्थिति में अदिनांकित प्रमाणपत्र और लेटरहेड पर दिए गए प्रमाणपत्र (मानदंड घ, 'सार्वजनिक प्रदर्शन' को छोड़कर) पर अंक दिए जाने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
7. केवल ईसीए श्रेणी / उप-श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्र, जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, पर विचार किया जाएगा।
8. प्रमाणपत्रों को अंक दिए जाने के समय, किसी भी प्रमाणपत्र पर एक बार से अधिक विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात्, अभ्यर्थी केवल एक बार किसी कार्यकलाप के लिए अंक का दावा कर सकता है।
9. यदि प्रतिभागी अंतिम दौर के प्रमाणपत्रों पर विचार करने के लिए चयन कर रहे हैं, तो प्रारंभिक दौर के प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा (जिनके कम अंक हैं), अर्थात्, यदि कई दौर के कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं तो किसी भी कार्यकलाप के अधिकतम स्कोरिंग प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा।
10. प्रमाणपत्रों में कार्यकलाप के स्तर और अवधि (जैसा लागू हो) के साथ-साथ यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए कि क्या यह एक समूह या एकल कार्यकलाप था। स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट विवरण के अभाव में, निम्नतम स्तर और अवधि (जैसा लागू हो) पर विचार किया जाएगा और इसे एक समूह गतिविधि के रूप में माना जाएगा।
11. कोविड महामारी के वर्षों के दौरान की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सभी श्रेणियों और मानदंडों की ऑनलाइन गतिविधियों के प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा।
12. ईसीए कोटे के तहत सभी प्रवेश-प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की फोरेंसिक जांच की जाएगी। ईसीए सुपरन्यूमरी कोटे के आधार पर प्रवेश पाने के लिए झूठे/नकली प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को तीन वर्ष के लिए किसी भी कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में प्रवेश रद्द कर दिए जाएंगे और सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

प्रमाणपत्रों को अंक दिए जाने के लिए मानदंड (एनसीसी, एनएसएस को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए)

प्रमाणपत्रों का अंकन चार मानदंडों के अनुसार किया जाना है:

मानदंड	विवरण	अधिकतम अंक
क	प्रतियोगिताओं में भागीदारी/पुरस्कार	7
ख	प्रशिक्षण / परीक्षा	4

ग	**कार्यशालाएं**	**2**
घ	**प्रदर्शन / प्रकाशित कार्य / प्रदर्शनी (सार्वजनिक)**	**2**
कुल		**15**

<u>मानदंड क: प्रतियोगिताओं में भागीदारी/पुरस्कार:</u>

क्र.सं.	स्तर	अधिकतम अंक			
		पहला पुरस्कार	दूसरा पुरस्कार	तीसरा पुरस्कार	भाग लेना
1.	अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय	7	6	5	4
2.	राज्य	4	3	2	1
3.	जोनल/इंटर स्कूल	3	2	1	0
4.	इंटर-स्कूल	2	1	0	0

उपर्युक्त अंक एकल प्रदर्शन के लिए दिए जाएंगे। समूह कार्यकलाप के संबंध में, प्रत्येक समूह कार्यकलाप के लिए उपर्युक्त अंकों में से 1 अंक काटा जाएगा।

इस मानदंड में 'अंतरराष्ट्रीय स्तर' पर विचार किया जा सकता है, यदि अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिष्ठित स्तर पर भाग लिया है, जिसके लिए उसे या तो पूर्व राष्ट्रीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है या किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रायोजित किया गया है।

विद्यालयों द्वारा आयोजित अंतर-विद्यालय प्रोग्राम (यहाँ तक कि वैश्विक/अंतरराष्ट्रीय/समान नाम के किसी अन्य पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाले) जिनमें अन्य राज्यों या देशों के स्कूलों की भागीदारी होती है, उन्हें अंतर-विद्यालय स्तर पर माना जाएगा, न कि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर।

भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को तब तक वैध माना जाएगा जब तक वह किसी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है।

<u>मानदंड ख: प्रशिक्षण/परीक्षाएँ</u>

क्र.सं.	स्तर	अधिकतम अंक			
		1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	>3 वर्ष
1.	गुरु / उस्ताद / संस्था के तहत प्रशिक्षण	1	2	3	4
2.	उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ परीक्षा	1	2	3	4

यदि किसी अभ्यर्थी ने कई संबंधित कार्यकलापों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है (उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी ने हिंदुस्तानी गायन के साथ-साथ कर्नाटक गायन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है), तो प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यकलाप के लिए एक ही अंकन योजना अपनाई जाएगी और अंक जोड़े जाएंगे।

प्रमाणपत्रों को अंक देने के लिए, परीक्षा की उस प्रणाली विशेष में अभ्यर्थी द्वारा उत्तीर्ण उच्चतम स्तर की परीक्षा पर विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी के पास प्रथम वर्ष के साथ-साथ द्वितीय वर्ष के लिए गंधर्व से प्रमाणपत्र है, तो केवल द्वितीय वर्ष के परीक्षा प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और उसी कार्यकलाप के लिए निर्धारित वर्षों में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, तो दोनों में से केवल एक पर विचार किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

इस मानदंड (परीक्षा भाग) के तहत अंकों के लिए सीसीआरटी छात्रवृत्ति प्रमाणपत्र/पुरस्कार पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, सीसीआरटी छात्रवृत्ति सीसीआरटी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए।

मानदंड गः कार्यशालाएँ

क्र.सं.	कार्यशाला की अवधि	अधिकतम अंक
1.	1 सप्ताह से कम	0
2.	1 सप्ताह	1
3.	1 सप्ताह से अधिक	2

मानदंड घः सार्वजनिक प्रदर्शन / प्रकाशित कार्य / प्रदर्शनी (सार्वजनिक):

क्र.सं.	प्रदर्शन का स्वरूप	अधिकतम अंक
1.	सामूहिक गतिविधि	1
2.	एकल कार्यकलाप	2

निम्नलिखित को सार्वजनिक प्रदर्शन माना जाता है:

(i) संगीत (गायन/वाद्य), नृत्य, रंगमंचः

क. सार्वजनिक प्रदर्शन का तात्पर्य ऐसे प्रदर्शन से है जो किसी समूह/संगठन के माध्यम से जन-समूह के देखने के लिए किया गया हो।

ख. यूट्यूब अपलोड, फेसबुक/इंस्टाग्राम रील, व्लॉग, और इसी तरह के अन्य अपलोड जो नॉन-पीयर-रिव्यू वीडियो स्ट्रीमिंग साइटों पर हों, को अंक देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग. रेस्तरां या अन्य निजी प्लेटफार्मों में प्रदर्शन, जिसमें पीयर-रिव्यू मैकेनिज्म शामिल नहीं है, को अंक देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) ललित कला-प्रदर्शनी

(iii) मीडिया:

क. फिल्म निर्माण- फिल्म क्रेडिट में मान्यता प्राप्त

ख. एनिमेशन - फिल्म क्रेडिट में मान्यता प्राप्त

ग. फोटोग्राफी - प्रदर्शनी

घ. यूट्यूब अपलोड, फेसबुक/इंस्टाग्राम रील्स, व्लॉग, और नॉन-पीयर-रिव्यू वीडियो स्ट्रीमिंग साइटों पर इसी तरह के अन्य अपलोड को अंक देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) किसी भी भाषा में कविताओं / लघु कथाओं / उपन्यास / नाटक आदि के संग्रह के रूप में रचनात्मक लेखन-प्रकाशित कार्य (सार्वजनिक प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया (समाचार पत्र लेख सहित) पर विचार किया जाएगा।

(v) योगः अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेना और निजी योग प्रशिक्षण कक्षाएँ आयोजित करने पर इस मानदंड या किसी अन्य मानदंड के तहत भी अंक देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) देवत्व: गुरुद्वारों में गुरबानी सुनाने की प्रतियोगिता, आदि ग्रंथ और दसम ग्रंथ से शबद गुरबानी, गुरु ग्रंथ साहिब और दसम ग्रंथ से पाठ का वाचन और ढाड़ी परंपरा, गायन करके धार्मिक / ऐतिहासिक कहानी बांचना आदि से संबंधित प्रमाणपत्रों पर अंक देने के लिए इस मानदंड के तहत विचार किया जा सकता है। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का एक प्रमाणपत्र / पत्र जिसमें ऐसा निर्दिष्ट किया गया हो, इस ईसीए श्रेणी के लिए एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है।

(vii) वाद-विवादः एमयूएन (मॉडेल यूनाइटेड नेशन्स) में भागीदारी को मानदंड घ के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं माना जाएगा; हालांकि, इसे मानदंड क के तहत अंक दिए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी को किसी वैध संयुक्त राष्ट्र निकाय के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, तो उस पर मानदंड घ के तहत विचार किया जाएगा।

आयोजन संस्था के ब्रोशर और/अथवा फ्लायर/समाचार-पत्रों के नोटिस / लेटरहेड पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगे पत्र / समाचार पत्र, न्यूजलेटर आदि की कतरनों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है।

21.1.2. एनसीसी श्रेणी के लिए प्रमाणपत्र अंकन योजना

1. एनसीसी में, ईसीए स्कोर अपलोड किए गए एनसीसी प्रमाणपत्र/त्रों पर आधारित होगा।

2. अदिनांकित प्रमाणपत्रों और एनसीसी यूनिट के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर के बिना प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. 'क' और 'ख' प्रमाणपत्र परीक्षा में दिखाए गए अनंतिम प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात् यदि प्रमाणपत्र पर उक्त परीक्षा के परिणाम का उल्लेख नहीं है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. स्कूल अथवा एएनओ द्वारा 'क' और 'ख' प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए दिए गए अनंतिम प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. यदि किसी अभ्यर्थी ने एकल कार्यकलाप में भाग लिया है, तो न्यूनतम अंक दिए जाएंगे। दो या दो से अधिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिए, अधिकतम अंक दिए जाने हैं (चाहे कार्यकलापों की संख्या दो या अधिक हो)।

प्रमाणपत्रों को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार अंक दिए जाएंगे:

मानदंड	विवरण	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक
क	नियमित गतिविधि (सर्वश्रेष्ठ कैडेट / स्वतंत्रता दिवस / आत्मरक्षा / आईडीवाई / सामाजिक जागरूकता, सामुदायिक विकास और प्राकृतिक आपदा / कोविड-19 / कोई अन्य में प्रशंसा प्रमाण-पत्र)	3	6
ख	निम्नलिखित योजना के अनुसार प्रमाणपत्र क / ख परीक्षा; एडीजी कॉम / डीजी कॉम: सर्टिफिकेट ए, ग्रेड सी सर्टिफिकेट ए, ग्रेड बी सर्टिफिकेट ए, ग्रेड ए सर्टिफिकेट बी, ग्रेड सी सर्टिफिकेट बी, ग्रेड बी सर्टिफिकेट बी, ग्रेड ए	-	 8 9 10 13 14 15
ग	कैंप (शूटिंग कैंप/एडवेंचर कैंप/सीएम रैली/पीएम रैली / एटीसी / सीएटीसी / ईबीएसबी / ट्रैकिंग / बीएलसी / एएलसी / आरसीटीसी / प्री-आरडी / प्री-टीएससी / प्री-वीएससी / एसएनआईसी / कोविड-19)	15	24
घ	विशेष शिविर (टीएससी/वीएससी/एनएससी)	12	12
ङ	गणतंत्र दिवस में भागीदारी	18	18
	कुल अंक		75

21.1.3. एनएसएस श्रेणी के लिए प्रमाणपत्र अंकन योजना

1. एनएसएस के लिए, अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर 75 अंकों का ईसीए स्कोर प्रदान किया जाएगा।
2. अदिनांकित प्रमाणपत्र और एनएसएस यूनिट के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर के बिना प्रमाणपत्र पर अंक देने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
3. प्रमाणपत्र में भाग लिए गए कार्यकलाप में अभ्यर्थी का एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में उल्लेख होना चाहिए।
4. वर्क डायरी हस्तलिखित नहीं होनी चाहिए। वर्क डायरी में प्रत्येक पृष्ठ पर प्रोग्राम अधिकारी और विद्यालय के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए।
6. यदि किसी अभ्यर्थी ने एकल कार्यकलाप में भाग लिया है, तो न्यूनतम अंक दिए जाएंगे। दो या दो से अधिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिए, अधिकतम अंक दिए जाने हैं (चाहे कार्यकलापों की संख्या दो या इससे अधिक हो)।
7. यदि किसी अभ्यर्थी ने एकल कार्यकलाप में भाग लिया है, तो न्यूनतम अंक दिए जाएंगे। दो या दो से अधिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिए, अधिकतम अंक दिए जाने हैं (चाहे कार्यकलापों की संख्या दो या इससे अधिक हो)।

प्रमाणपत्रों को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार चिह्नित किया जाएगा:

मानदंड	विवरण	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक
क	नियमित गतिविधि, मुख्य दिन की भागीदारी (स्वच्छता / वृक्ष वृक्षारोपण / श्रम दान / सड़क सुरक्षा / मतदाता जागरूकता / महिला सुरक्षा / लिंग संवेदीकरण / रक्तदान / कोविड-19 / इसी तरह की कोई भी सामाजिक जागरूकता गतिविधि)	3	6
ख	नियमित सामाजिक गतिविधियों के लिए कार्य के घंटे	120-240 घंटे के लिए 6	240 घंटे से अधिक के लिए 12
ग	राष्ट्रीय शिविर- एसबीएसआई / आरडी / एनएसएस आईजी पुरस्कार / एनवाईएफ / एनआईसी	18	24
घ	विशेष शिविर / कार्य डायरी / कार्य डायरी के साथ विशेष शिविर	15	21
ङ	प्री-आरडी कैंप / राज्य शिविर / सरकार द्वारा आयोजित एक माह से अधिक अवधि का कोविड-19 गतिविधि शिविर	12	12
कुल अंक			75

21.1.4. सीट आवंटन

ईसीए में सीट आवंटन के प्रयोजनार्थ, अभ्यर्थी की संयुक्त ईसीए योग्यता (सीईएम) पर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थी का सीईएम निम्नलिखित का योग होगा:

क. सभी प्रोग्रामों, जिसमें उसने आवेदन किया है, के उच्चतम प्रोग्राम विशिष्ट सीयूईटी का 25% प्रतिशत और

ख. सभी ईसीए श्रेणियों से प्राप्त उच्चतम ईसीए स्कोर का 75% जिनमें उस पर विचार किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी को किसी विशेष ईसीए श्रेणी में विचार किए जाने के लिए उस विशेष ईसीए श्रेणी में 75 में से कम से कम 30 अंक प्राप्त करने चाहिए।

आवंटन निम्नलिखित मानदंडों पर किया जाएगा:

1. अभ्यर्थियों की सीईएम रैंकिंग, जो ईसीए स्कोर में कम से कम 30 अंकों के स्कोर के आधीन होगी।
2. अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई प्रोग्राम + कॉलेज संयोजनों की प्रेफ्रेन्स (वरीयताएँ)।
3. किसी कॉलेज में विशिष्ट ईसीए श्रेणी में सीटों की उपलब्धता।

जिन अभ्यर्थियों को ईसीए के किसी भी दौर में सीट आवंटित की गई थी, उन्हें अनुवर्ती अपग्रेडेशन, यदि कोई हो, हेतु विचार किए जाने के लिए वह सीट स्वीकार करनी होगी।

सीट को फ्रीज/अपग्रेड करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय की आवंटन नीतियों के अनुसार होगी।

21.1.5. टाई ब्रेकिंग नियम

टाई हो जाने की स्थिति में (एनएसएस और एनसीसी श्रेणियों को छोड़कर), जहाँ दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का एक ही सीईएम है, टाई को तोड़ने के लिए नीचे बताए गए क्रम में निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

1. संबंधित ईसीए श्रेणी/उप-श्रेणी के शारीरिक परीक्षण में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
2. सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
3. द्वितीय श्रेष्ठतम प्रमाणपत्र में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
4. तृतीयम श्रेष्ठतम प्रमाणपत्र में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
5. चौथा श्रेष्ठतम प्रमाणपत्र में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

6. पांचवा श्रेष्ठतम प्रमाणपत्र में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
7. कक्षा X के प्रमाणपत्र में उल्लिखित पहले की जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

यदि टाई बनी रहती है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों पर विचार किया जा सकता है।

एनसीसी और एनएसएस के मामले में, क्रम 2 से आगे (जैसाकि ऊपर बताया गया है) टाई-ब्रेकिंग नियम लागू होंगे।

21.2: खेल सुपरन्यूमररी कोटा

खेल सुपरन्यूमररी कोटा के आधार पर प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी को सीएसएएस-2022 आवेदन पत्र पर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।

अभ्यर्थी अधिकतम तीन क्रीड़ा/खेल के लिए आवेदन कर सकता है।

यहाँ प्रवेश निम्नलिखित के आधार पर होगा:

क) **खेल परीक्षण के बिना प्रवेशः** इन्हें श्रेणी क के अभ्यर्थी कहा जाता है (श्रेणी क के लिए पात्रता का विवरण उप-भाग 21.2.1 में बताया गया है)। श्रेणी क के अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु मानदंड पूरी तरह से सीएसएएस-2022 आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र की जांच पर आधारित होगा। अभ्यर्थी को एनटीए द्वारा आयोजित सीयूईटी (यूजी) - 2022 में अवश्य उपस्थित हुआ होना चाहिए।

ख) **खेल परीक्षण के आधार पर प्रवेशः** इन्हें श्रेणी ख, ग, और घ अभ्यर्थी कहा जाता है (श्रेणी ख, ग, और घ के लिए पात्रता का विवरण उप-भाग 21.2.2 में दिया गया है)। श्रेणी ख, ग, और घ अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए मानदंड संयुक्त खेल योग्यता (सीएसएम) पर आधारित होगा, जिसमें सभी प्रोग्रामों, जिनमें अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, के उच्चतम प्रोग्राम-विशिष्ट सीयूईटी प्रतिशत स्कोर का 25%, अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र के मूल्यांकन में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त उच्चतम अंक का 25%, और खेल परीक्षणों में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त उच्चतम अंक का 50% शामिल होगा।

21.2.1. श्रेणी क: खेल परीक्षण के बिना प्रवेश।

जिन अभ्यर्थियों ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्तपोषित निम्नलिखित प्रतियोगिता (प्रतियोगिताओं) में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उन्हें उप-धारा 21.2.2ख में उल्लिखित उस क्रीड़ा/खेल के लिए खेल परीक्षण के बिना प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें कॉलेजों द्वारा उस क्रीड़ा/खेल की आवश्यकता दी गई है।

क) अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल
ख) अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ (आईएसएफ) द्वारा विश्व चैम्पियनशिप / विश्व कप
ग) कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन (सीजीएफ) द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स
घ) एशिया ओलंपिक परिषद (ओसीए) द्वारा एशियाई खेल
ङ) अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ (आईएसएफ) द्वारा एशियाई सीनियर चैंपियनशिप
च) दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद (एसएओसी) द्वारा दक्षिण एशियाई खेल (एसएजी)
छ) अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) द्वारा पैरालंपिक खेल

श्रेणी क के लिए खेल सुपरन्यूमररी कोटा के आधार पर प्रवेश पूरी तरह से अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र की जांच और सीएसएएस -2022 आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए प्रोग्राम + कॉलेज संयोजनों की प्राथमिकताओं के क्रम पर आधारित होगा। आवंटन सामान्य न्यूनतम पात्रता, प्रोग्राम-विशिष्ट पात्रता, प्रोग्राम + कॉलेज संयोजन की प्राथमिकताओं के क्रम और अभ्यर्थी द्वारा चुने गए कॉलेज में क्रीड़ा / खेल में सीट की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

21.2.2 श्रेणी ख, ग, और घ: खेल परीक्षण के आधार पर प्रवेश

श्रेणी ख, ग, और घ में अभ्यर्थियों के लिए, उप-धारा 21.2.2ख में उल्लिखित क्रीड़ा/खेल, जिनमें कॉलेजों ने क्रीड़ा / खेल की आवश्यकता बताई है, के लिए सीएसएएस-2022 आवेदन पत्र में अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र पर वेटेज दिया जाएगा।

क. अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र का अंकन (अधिकतम 200 अंक): सीएसएम में 25% वेटेज

1. भाग 21.2.3 में अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र को अंक देने के संबंध में मानदंड शामिल हैं और ये क्रीड़ा / खेल प्रतियोगिताओं के विभिन्न स्तरों के अंक प्रदर्शित करते हैं।
2. आमंत्रण / स्मारक / ओपन / प्राइज़ मनी लीग / चयन ट्रायल / स्क्वाड / रैंकिंग प्रतियोगिताओं के खेल प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। खेल प्रतियोगिताओं में योग्यता / भागीदारी के संबंध में भी पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी अधिकतम तीन योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों को अपलोड कर सकते हैं।
4. अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र को अंक देने के मानदंड के अनुसार अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र का मूल्यांकन किया जाएगा। हालांकि, अपलोड किए गए योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र के मूल्यांकन में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए उच्चतम अंकों पर संयुक्त खेल योग्यता (सीएसएम) की तैयारी के लिए विचार किया जाएगा।
5. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, 01 अप्रैल 2017 से 30 जून 2022 तक के पिछले पांच वर्षों के योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्रों पर विचार किया जाएगा।
6. अपलोड किए गए योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र में अधूरे / काट-छाँट किए गए / उपरिलेखन (ओवरराइटिंग) पर किसी भी परिस्थिति में अंकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
7. अभ्यर्थी की योग्यता का स्तर केवल उन लोगों के संबंध में निर्धारित किया जाएगा जिन्होंने उप-खंड 21.2.2ख में क्रीड़ा/खेल में पिछले पांच वर्षों के दौरान विशिष्टता हासिल की है।
8. सीएसएम और खेल परीक्षण में विचार किए जाने हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को अपलोड किए गए योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्रों के मूल्यांकन में कम से कम 20 अंक हासिल करने चाहिए।

ख. खेल परीक्षण (अधिकतम 400 अंक): सीएसएम में 75% वेटेज

खेल के आधार सुपरन्यूमररी कोटा में प्रवेश के लिए निम्नलिखित क्रीड़ा/खेल पर विचार किया जाता है

टीम खेलः

बेसबॉल (पुरुष), बास्केटबॉल (पुरुष एवं महिला), क्रिकेट (पुरुष एवं महिला), फुटबॉल (पुरुष एवं महिला), हैंडबॉल (पुरुष एवं महिला), हॉकी (पुरुष एवं महिला), कबड्डी (पुरुष एवं महिला), खो-खो (पुरुष एवं महिला), नेटबॉल (महिला), सॉफ्टबॉल (महिला) और वॉलीबॉल (पुरुष एवं महिला)।

टीम खेलों के लिए अंकन मानदंडः कुल 400 अंक

मौलिक कौशलः 200 अंक

परीक्षण में प्रदर्शनः 200 अंक

दो खिलाड़ी के खेल और लड़ाकू खेलः

बैडमिंटन (पुरुष एवं महिला), बॉक्सिंग, (पुरुष एवं महिला), फेंसिंग (पुरुष एवं महिला), जूडो (पुरुष एवं महिला), स्क्वाश (पुरुष एवं महिला), टेबल टेनिस (पुरुष एवं महिला), तायक्वांडो (क्योरुगी) (पुरुष एवं महिला), टेनिस (पुरुष एवं महिला) और कुश्ती (फ्रीस्टाइल) (पुरुष एवं महिला)

दोहरे और लड़ाकू खेलों के लिए अंकन मानदंड: कुल (400 अंक)

व्यक्तिगत तौर पर खेले जाने वाले खेलः कुल (400 अंक)

व्यक्तिगत खेलः

तीरंदाजी (पुरुष एवं महिला), एथलेटिक्स (पुरुष एवं महिला), शतरंज (पुरुष एवं महिला), डाइविंग (पुरुष एवं महिला), जिमनास्टिक्स (पुरुष एवं महिला), शूटिंग (10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल) (पुरुष एवं महिला), तैराकी (पुरुष एवं महिला) और भारोत्तोलन (पुरुष एवं महिला)

व्यक्तिगत खेलों के लिए अंकन मानदंडः कुल (400 अंक)

परीक्षण में प्रदर्शनः कुल (400 अंक)।

1. अभ्यर्थी को केवल एक इवेंट/वेट कैटेगरी में खेल परीक्षण में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
2. संयुक्त खेल योग्यता (सीएसएम) में विचार किए जाने हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को खेल परीक्षण में कम से कम 200 अंक हासिल करने चाहिए।
3. खेल परीक्षण आयोजित करने के लिए निर्धारित कॉलेज को खेल परीक्षण की वीडियोग्राफी करनी चाहिए और रिकॉर्डिंग को संरक्षित करना चाहिए।
4. विशिष्ट क्रीड़ा / खेल के लिए खेल सुपरन्यूमररी कोटा के आधार पर प्रवेश के लिए खेल परीक्षण विश्वविद्यालय की खेल प्रवेश समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा। खेल प्रवेश समिति इस प्रकार होगीः

   क) अध्यक्षः कॉलेज के शासी निकाय में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि

   ख) सह-अध्यक्ष: प्रधानाचार्य

   ग) संयोजकः शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग

   घ) विशेषज्ञ: विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किए जाने के लिए

   ङ) (खेल के मैदान से ख्याति प्राप्त व्यक्ति)

   च) डीयूएससी नामांकित व्यक्ति: विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाना है।

   उपर्युक्त समिति के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय प्रत्येक खेल परीक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा। यह पर्यवेक्षक खेल परीक्षण के आयोजन पर एक रिपोर्ट विश्वविद्यालय को सौंपेगा।
5. व्यक्तिगत खेल, दोहरे और लड़ाकू खेलों के लिए अंकन एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा और टीम खेलों के लिए अंकन विश्वविद्यालय की खेल प्रवेश समिति के तीन विशेषज्ञों द्वारा अलग से किया जाएगा।

21.2.3: अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र के अंकन संबंधी मानदंड

श्रेणी	क्रीडा/खेल प्रतियोगिता का स्तर	प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकरण	अधिकतम अंक (200)			
			पहला स्थान	दूसरा स्थान	तीसरा स्थान	भाग लेना
क	ओलंपिक खेलों / विश्व चैम्पियनशिप / विश्व कप / राष्ट्रमंडल खेल / एशियाई खेल / एशियाई सीनियर चैम्पियनशिप / दक्षिण एशियाई खेल / पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया	आईओसी / आईएसएफ / सीजीएफ / ओसीए / एसएओसी / आईपीसी युवा कार्य और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित	खेल परीक्षण के बिना प्रवेश			
ख	एशियन जूनियर / यूथ / चैम्पियनशिप / प्रतियोगिता / राष्ट्रीय खेल / फेडरेशन कप / सीनियर नेशनल / नेशनल / इंटर-जोनल नेशनल / नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17/19/ खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 17/18/21 / यूथ / जूनियर नेशनल/सब-जूनियर/जोनल नेशनल प्रतियोगिताओं में स्थान और/या भागीदारी	आईएसएफ / आईओए / एनएसएफ युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) / स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित है।	200	180	160	140

ग	राज्य प्रतियोगिता / इंटर-जोनल / इंटर-डिस्ट्रिक्ट / सीबीएसई राष्ट्रीय / केवीएस राष्ट्रीय / आईपीएससी राष्ट्रीय / डीएवी राष्ट्रीय / एनवीएस राष्ट्रीय / विद्या भारती राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्थिति	राज्य खेल संघ / राज्य शिक्षा निदेशालय / राज्य स्कूल बोर्ड	120	100	80	पात्र नहीं है
घ	जिला / जोनल प्रतियोगिता / सीबीएसई क्लस्टर / जोनल, केवीएस / एनवीएस क्षेत्रीय, डीएवी / विद्या भारती जोनल, सुब्रतो कप / स्कूल स्पोर्ट्स बोर्ड प्रतियोगिताओं में स्थान	जिला खेल संघ / जिला / क्षेत्रीय / क्षेत्रीय शिक्षा निदेशालय / जिला स्कूल बोर्ड	60	40	20	पात्र नहीं है

21.2.4 सीट आवंटन

1. खेल सुपरन्यूमरी कोटा के लिए सीटों के आवंटन हेतु श्रेणी क के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
2. खेल सुपरन्यूमरी कोटा के लिए श्रेणी ख, ग और घ अभ्यर्थियों के लिए सीटों के आवंटन के लिए अभ्यर्थियों की संयुक्त खेल योग्यता (सीएसएम) पर विचार किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी का सीएसएम स्कोर निम्नलिखित का योग होगा:
   क. उन सभी प्रोग्रामों जिनमें अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, के उच्चतम प्रोग्राम-विशिष्ट सीयूईटी प्रतिशत स्कोर का 25%
   ख. अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र के मूल्यांकन में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त उच्चतम अंकों का 25%, और
   ग. खेल परीक्षणों में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त उच्चतम स्कोर का 50%
4. आवंटन निम्नलिखित मानदंडों पर किया जाएगाः
   क. अभ्यर्थी की सीएसएम रैंकिंग।
   ख. अभ्यर्थी द्वारा चुने गए प्रोग्राम + कॉलेज संयोजनों की वरीयताएँ।
   ग. अभ्यर्थी द्वारा चुने गए कॉलेज में विशिष्ट क्रीड़ा/खेल के लिए सीटों की उपलब्धता।
5. खेल सुपरन्यूमरी कोटा के आधार पर प्रवेश के लिए अनुवर्ती दौर (यदि कोई हो) में, वे अभ्यर्थी जो पहले से ही खेल कोटा सीट पर प्रवेश ले चुके हैं, उन्हें अभ्यर्थी द्वारा पहले से प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार कॉलेज में विशिष्ट क्रीड़ा / खेल के लिए प्रोग्राम + कॉलेज संयोजनों और सीट की उच्चतर प्रेफ्रन्स (वरीयता) के लिए विचार किए जाने हेतु 'अपग्रेड' का विकल्प चुनना होगा। जो अभ्यर्थी निष्क्रिय है या 'फ्रीज' का चयन करता है, उस पर अनुवर्ती दौर में विचार नहीं किया जाएगा।

21.2.5 टाई ब्रेकिंग नियम

टाई हो जाने की स्थिति में (अर्थात् जहाँ दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का एक ही क्रीड़ा / खेल में समान सीएसएम है और एक ही कॉलेज में प्रवेश के लिए पात्र हैं) निम्नलिखित नियम नीचे बताए गए क्रम में लागू होंगे:

क. खेल परीक्षण में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
ख. सर्वश्रेष्ठ अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
ग. दूसरे सर्वश्रेष्ठ अपलोड किए गए योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
घ. तीसरे सर्वश्रेष्ठ अपलोड किए गए योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

ङ. पहले की जन्मतिथि वाले अभ्यर्थी (जैसाकि दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र में उल्लेख किया गया है) को टाई तोड़ने के लिए वरीयता दी जाएगी।

यदि टाई बनी रहती है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।

21.2.5 महत्वपूर्ण सूचना

1. कॉलेज की खेल प्रवेश समिति इस प्रकार होगी:
   क) अध्यक्षः प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्य का नामिती
   ख) संयोजकः शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग
   ग) सदस्य: शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग
   घ) नामित व्यक्ति: कर्मचारी परिषद का एक संकाय सदस्य

2. कॉलेज की खेल प्रवेश समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:
   क) दिल्ली विश्वविद्यालय यूजी प्रवेश वेबसाइट पर अभ्यर्थी के आवेदन पत्र की जांच करेगी।
   ख) डीयूएससी द्वारा मूल्यांकित/अंकित अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र को अभ्यर्थी के मूल योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र से सत्यापित करेगी।

3. अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र को अंक प्रदान करने से संबंधित शिकायत का निवारण विश्वविद्यालय की यूजी खेल शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा। अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र के अंक दिल्ली विश्वविद्यालय यूजी प्रवेश वेबसाइट पर शिकायतों, यदि कोई हो, को दर्ज करने के लिए तीन दिनों के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय की यूजी खेल शिकायत समिति द्वारा तीन दिनों के भीतर सभी पंजीकृत शिकायतों का समाधान किया जाएगा।

4. दिल्ली विश्वविद्यालय यूजी प्रवेश वेबसाइट पर प्रदर्शित अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र पर दिए गए अंक अनंतिम हैं और विश्वविद्यालय की यूजी खेल शिकायत समिति द्वारा योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र की अंतिम जांच और सत्यापन के आधीन हैं। विश्वविद्यालय की यूजी खेल शिकायत समिति का निर्णय अंतिम होगा।

5. कॉलेज खेलकूद के आधार पर प्रवेश दिए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का उचित रिकार्ड रखेगा।

6. खेल सुपरन्यूमररी कोटा में अंतिम रूप से प्रवेश दिए गए अभ्यर्थियों की सूची (सॉफ्ट कॉपी) विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि के सात दिनों के भीतर कॉलेजों द्वारा प्रवेश शाखा और निदेशक, डीयूएससी को भेजी जाएगी।

7. अभ्यर्थी को उसकी आयु के अनुसार अगले चार वर्षों के लिए अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र होना चाहिए और उसे कहीं भी अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर नियोजित नहीं होना चाहिए।

8. खेल परीक्षण के दौरान अभ्यर्थी को लगी कोई भी चोट / आपद अभ्यर्थी की पूरी जिम्मेदारी होगी।

9. अभ्यर्थी को प्रवेश के समय एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कहा गया हो कि अभ्यर्थी कॉलेज के लिए खेल-अभ्यास करेगा और प्रतियोगिताओं में भाग लेगा, और यदि उसका चयन हो जाए तो कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, ऐसा न करने पर कॉलेज को प्रवेश रद्द करने का अधिकार है, यदि अभ्यर्थी अंडरग्रेजुएट अध्ययन की अपनी पूरी अवधि के दौरान शपथपत्र का उल्लंघन करता है।

10. खेल सुपरन्यूमररी कोटा के आधार पर किए गए सभी प्रवेश अनंतिम हैं और अभ्यर्थी के अपलोड किए गए योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्रों के मूल के फोरेंसिक जांच / सत्यापन के आधीन हैं। खेल सुपरन्यूमररी कोटा के आधार पर प्रवेश पाने के लिए झूठे / नकली योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को तीन साल के लिए किसी भी कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे दाखिले रद्द कर दिए जाएंगे और सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

अध्याय - 22
अन्य सुपरन्यूमररी कोटा पर प्रवेश

सुपरन्यूमररी कोटा के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अलग योग्यता सूची/सूचियां घोषित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सुपरन्यूमररी कोटा के तहत प्रवेश से संबंधित दिशानिर्देशों और प्रोग्रामों के लिए प्रवेश वेबसाइट पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। उन्हें नियमित रूप से अपने डैशबोर्ड की भी जांच करनी चाहिए।

22.1: बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)

सभी कॉलेजों के प्रत्येक प्रोग्राम में कुल स्वीकृत संख्या का पांच प्रतिशत (5%) पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। यूजी बीओआई 2022 में पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए निर्धारित दिव्यांगता से संबंधित पात्रता और विवरण दिए गए हैं।

पीडब्ल्यूबीडी कोटे के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अलग योग्यता सूची/सूचियाँ घोषित की जाएगी।

पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र के निर्धारित प्ररूप के लिए, अनुलग्नक IV देखें। 01.06.2021 के बाद जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र राजपत्र अधिसूचना संख्या 1736 (अ) दिनांक 05.05.2021 के अनुसार होना चाहिए जो दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग द्वारा जारी किया गया है और यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया गया हो। हालाँकि, 01.06.2021 से पहले जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाणपत्र, दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग और दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य मौजूदा प्रयोज्य नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार माने जाएंगे।

22.2: सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चे/विधवाएँ (सीडब्ल्यू)

सभी कॉलेजों में प्रोग्राम-वार, सशस्त्र बलों (सीडब्ल्यू) के कार्मिकों के बच्चों/विधवाओं हेतु अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत (5%) सीटें आरक्षित हैं।

सीडब्ल्यू कोटे के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अलग योग्यता सूची घोषित की जाएगी।

सीडब्ल्यू अभ्यर्थियों को अपनी वरीयता और प्रमाणपत्र की भी पुष्टि करनी होगी। सीडब्ल्यू वरीयता से संबंधित विवरण के लिए, यूजी-बीओआई 2022 देखें।

ईसीसी प्रमाणपत्र के निर्धारित प्ररूप के लिए (अनुबंध IV देखें)।

22.3: कश्मीरी प्रवासी (केएम)

कश्मीरी प्रवासियों के कोटे के तहत प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग योग्यता सूची घोषित की जाएगी।

कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के लिए सभी कॉलेजों में प्रोग्राम-वार 5% तक सीटें आरक्षित हैं।

कश्मीरी प्रवासियों के सभी बच्चों को संभागीय आयुक्त/राहत आयुक्त द्वारा जारी कश्मीरी प्रवासियों के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

22.4: जम्मू एवं कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस)

जम्मू एवं कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को एआईसीटीई और दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

22.5: सिक्किम के छात्रों के लिए सीटों का नामांकन

सिक्किम के छात्रों के लिए नामांकित सीटों हेतु सीटों की उपलब्धता से संबंधित विवरण के लिए यूजी बीओआई-2022 देखें।

22.6: दिल्ली विश्वविद्यालय वार्ड कोटा

विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों के कर्मचारियों और शिक्षकों दोनों के बच्चों को प्रवेश, शैक्षणिक परिषद के संकल्प 9 क और ख दिनांक 27.11.2020 और उसके अनुवर्ती संशोधनों/अधिसूचनाओं के अनुसार दिया जाएगा।

अभ्यर्थी को निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा जारी वैध रोजगार प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से माता-पिता के रोजगार की स्थिति का उल्लेख होना चाहिए। केवल सीएसएएस-2022 आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किए गए प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा। आई-कार्ड, आधार कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नक - I

बोर्डों की समतुल्यता

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा मान्यता प्राप्त / प्रत्यायित बोर्डों / विश्वविद्यालयों की जांच करने वाले निकायों से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में महाविद्यालयों/विभागों में सभी यूजी प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए आवेदन पर दिनांक 13/01/2005 के विश्वविद्यालय के परिपत्र में उल्लिखित निम्नलिखित सिफारिशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

एआईयू / केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न बोर्डों के सीनियर स्कूल सार्टिफिकेट को विभिन्न स्नातक प्रोग्रामों हेतु पात्रता के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय बोर्ड के सीनियर स्कूल सार्टिफिकेट के समकक्ष माना जाता है।

विदेशी विश्वविद्यालयों / बोर्डों की विभिन्न डिग्री / विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से पात्र माना जाएगा, जिन्हें समय-समय पर समकक्ष समिति द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। केवल उन उम्मीदवारों के मामले जो एआईयू / यूजीसी / काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (सीओबीएसई) / एमओई मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों की सूची में नहीं आते हैं, उन्हें व्यक्तिगत आधार पर विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा।

अनुलग्नक - II

ग्रेड परिवर्तन [ए.सी. संकल्प संख्या 319, दिनांकित 22.3.1976 के अनुसार]

कैंब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट / मलेशिया / ओवरसीज / अफ्रीकी जीसीई / एग्जामिनेशन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और/अथवा दिल्ली विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रोग्रामों में प्रवेश के उद्देश्य से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली की हायर सेकेंडरी परीक्षा में दिए गए अंकों के प्रतिशत के साथ अमेरिकन एम्बेसी स्कूल, नई दिल्ली की 12वीं कक्षा की परीक्षा में दिए गए औसत ग्रेड प्वाइंट का फॉर्मूला / समतुल्यता।

ग्रेड	प्रत्येक ग्रेड का न्यूनतम%	ग्रेड	औसत परिणाम %
1	90	क	90
2	75	ख	75
3	66	ग	60
4	61	घ	40
5	57	ङ	30
6	51	च	फेल
7	47	-	-
8	40	-	-
9	फेल	-	-

आईबी छात्रों को प्रवेश (आईबी ग्रेड टू मार्क्स योजना)

7	96 - 100	मध्यबिंदु 98
6	83 - 95	मध्यबिंदु 89
5	70 - 82	मध्यबिंदु 76
4	56 - 69	मध्यबिंदु 62.5
3	41 - 55	मध्यबिंदु 48
2	21 - 40	मध्यबिंदु 30.5
1	जनवरी-20	मध्यबिंदु 10.5

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा) के छात्रों के लिए प्रवेश

ग्रेड	प्रतिशत यूनिफ़ॉर्म मार्क (चिह्न)	औसत परिणाम
	रेंज	प्रतिशत
क *	90 - 100	मध्यबिंदु 95
क	80 - 89	मध्यबिंदु 85
ख	70 - 79	मध्यबिंदु 75
ग	60 - 69	मध्यबिंदु 65
घ	50 - 59	मध्यबिंदु 55
ङ	40 - 49	मध्यबिंदु 45

जहाँ भी जीसीई प्रमाणपत्र ग्रेड इंगित करता है; इसे प्रवेश आवश्यकताओं के प्रयोजनों के लिए इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के ग्रेड के समतुल्य माना जाएगा। (जैसा कि ग्रेड परिवर्तन ऊपर बताया गया है)।

वर्ष 2017 से कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन का नाम बदलकर कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन कर दिया गया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय इस बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से 10+2 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के समान मानता है और दिल्ली विश्वविद्यालय के यूजी प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश उद्देश्यों के लिए एकसमान अंकों के प्रतिशत का उपयोग किया जाएगा। ग्रेड को अंकों में परिवर्तित नहीं किया जाएगा जहाँ प्रतिशत समान अंक उपलब्ध हैं।

यदि कोई बोर्ड ग्रेड के साथ अलग-अलग विषयों के प्रतिशत अंक घोषित करता है, तो प्रतिशत अंकों पर विचार किया जाएगा।

आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची

अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय प्रासंगिक प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों की प्रतियाँ अपलोड करने की आवश्यकता होगी (जैसा भी प्रयोज्य हो) और कॉलेज में भौतिक सत्यापन के समय मूल रूप में वही प्रमाणपत्र / दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

1. अभ्यर्थी के नाम का दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र, जिसमें जन्म तिथि और माता-पिता के नाम का उल्लेख हो।

2. अभ्यर्थी के नाम की बारहवीं कक्षा की मार्कशीट। अभ्यर्थी का नाम सीयूईटी (यूजी)-2022 फॉर्म से मेल खाना चाहिए।

3. सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/अल्पसंख्यक/सीडब्ल्यू/केएम/ पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र (अभ्यर्थी के नाम का)। एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/अल्पसंख्यक/ सीडब्ल्यू/केएम/पीडब्ल्यूबीडी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी का नाम उस नाम से मेल खाना चाहिए जो उसके संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाणपत्र और सीयूईटी (यूजी)-2022 में दिया गया है। इसी तरह, उसके माता-पिता का नाम प्रमाणपत्रों के दोनों सेटों में दिए गए नाम से मेल खाना चाहिए।

4. ओबीसी-नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र (अभ्यर्थी के नाम का) जो सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो और जिसमें अभ्यर्थी की जाति http://ncbc.nic.in द्वारा जारी ओबीसी केंद्रीय सूची में शामिल हो। ओबीसी-नॉन-क्रीमी लेयर के तहत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी का नाम उस नाम से मेल खाना चाहिए जैसाकि उसके संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाणपत्र और सीयूईटी (यूजी) - 2022 में दिया गया है; इसी तरह, माता-पिता का नाम प्रमाणपत्रों के दोनों सेटों में दिए गए नाम से मेल खाना चाहिए। आय प्रमाणपत्र 31 मार्च, 2022 के बाद जारी किया जाना चाहिए। ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र का निर्धारित प्ररूप दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश वेबसाइट और अनुलग्नक IV पर दिया गया है।

5. ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (अभ्यर्थी के नाम का) जो सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी से प्राप्त किया गया हो जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि अभ्यर्थी इस श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा कर सकता है। इस श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी का नाम उस नाम से मेल खाना चाहिए जो उसके संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाणपत्र में दिया गया है; इसी तरह, उसके माता-पिता का नाम प्रमाणपत्रों के दोनों सेटों में दिए गए नाम से मेल खाना चाहिए। आय प्रमाण पत्र 31 मार्च, 2022 के बाद जारी किया जाना चाहिए। प्रमाणपत्र के निर्धारित प्ररूप के लिए अनुलग्नक IV देखें।

6. ईसीए/स्पोर्ट्स सुपरन्यूमररी कोटा के माध्यम से प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को अपेक्षित प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों को अपलोड करना होगा और मांगे जाने पर संबंधित अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।

7. बी.एससी. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल में आवेदन करने के लिए, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अपलोड करना होगा (विवरण अध्याय 20 में):

   क) अनुलग्नक IV में दिए गए निर्धारित प्ररूप के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

   ख) अधिकतम तीन खेल प्रवीणता प्रमाणपत्र।

8. जिन अभ्यर्थियों ने बारहवीं कक्षा में एक विषय के रूप में संगीत का अध्ययन नहीं किया है और बी.ए.(ऑनर्स) संगीत के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सीएसएएस के अध्याय 20 में उल्लिखित प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

9. पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांगता प्रमाणपत्र अभ्यर्थी के नाम से किसी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल द्वारा जारी होना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थी की तस्वीर हो (प्रमाणपत्र के निर्धारित प्ररूप के लिए अनुबंध IV देखें)। 01.06.2021 के बाद जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या 1736 (अ) दिनांक 05.05.2021 के अनुसार होना चाहिए और यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया गया होना चाहिए। हालाँकि, 01.06.2021 से पहले जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाणपत्रों पर, दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग और दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य मौजूदा लागू नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार विचार किया जाएगा।

10. सीडब्ल्यू श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को शैक्षिक रियायत प्रमाणपत्र (ईसीसी), (अभ्यर्थी के नाम का) निर्धारित प्ररूप में अपलोड करना होगा जिसमें प्राथमिकता स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो। प्रमाणपत्र के निर्धारित प्ररूप के लिए अनुबंध IV देखें।
11. कश्मीरी प्रवासी श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संभागीय आयुक्त/राहत आयुक्त द्वारा जारी सही प्ररूप में प्रासंगिक प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।
12. सिख अल्पसंख्यक श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) से अपने अल्पसंख्यक दर्जे को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाणपत्र अपलोड और प्रस्तुत करना होगा।
13. ईसाई अल्पसंख्यक श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित ईसाई अल्पसंख्यक कॉलेज की अपेक्षाओं के अनुसार अपना बपतिस्म प्रमाणपत्र और/अथवा चर्च सदस्यता प्रमाणपत्र अपलोड और प्रस्तुत करना होगा।
14. अभ्यर्थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय वार्ड सुपरन्यूमररी कोटा के तहत प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें अपने माता-पिता का एक वैध रोजगार प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा जो कि निर्धारित अधिकारियों द्वारा जारी किया गया हो। केवल सीएसएएस आवेदन पत्र में अपलोड किए गए रोजगार प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा। आई-कार्ड, आधार कार्ड और/अथवा कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अभ्यर्थी अपने द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्र की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। अपलोड किए गए दस्तावेज़ / प्रमाणपत्र प्रामाणिक और सटीक हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मांगे गए दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। किसी भी भौतिक सत्यापन, जो अनुवर्ती चरण में आवश्यक हो सकता है, के पूरा होने पर सभी प्रमाणपत्र / दस्तावेज कॉलेज / विभाग द्वारा अभ्यर्थी को वापस कर दिए जाएंगे।

यदि मूल प्रमाणपत्र अंग्रेजी / हिंदी में नहीं हैं, तो ऐसे प्रमाणपत्रों का अंग्रेजी / हिंदी संस्करण / अनुवाद, जिसे अभ्यर्थी के पिछले संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो, दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

अनुलग्नक - IV

प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रारूप

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र का निर्धारित प्रारूप

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ पुत्र/पुत्री* गांव/कस्बा* _____ राज्य का जिला/मंडल*/संघ राज्य क्षेत्र*_____ निम्नानुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति* के अंतर्गत आता है:-

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जातियाँ) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951
* संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश) 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा यथासंशोधित]

* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956;
* संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा द्वारा यथासंशोधित;
* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962; * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962;
* संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964; * संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967;
* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968; * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968;
* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970;
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978;
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978;
* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989;
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991;
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991;

2 # यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती* _____ पिता/माता* श्री/श्रीमती/कुमारी*_____ ग्राम / नगर*_____ जिला/मंडल*_____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*_____को जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति* प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है.जो अनुसूचित जाति/जनजाति* से संबंधित है, जिसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो दिनांक _____को _____ द्वारा जारी किया गया है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी*_____और/अथवा* उसका/उसका परिवार आमतौर पर राज्य संघ शासित प्रदेश के _____जिले/मंडल*_____ के गांव/कस्बे**_____ में रहता** है।

स्थानः _____

दिनांकः _____

हस्ताक्षरः _____

पदनामः _____

(कार्यालय की मुहर के साथ)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____

* कृपया उन शब्द(शब्दों) को डिलीट कर दें जो लागू नहीं हैं।

अनु.जाति/अनु.जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू है, जो दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्रवास कर चुके हैं।

महत्वपूर्ण नोट्स

यहाँ प्रयुक्त शब्द "आमतौर पर निवास(निवासों)**" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में उल्लिखित है। जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी:

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टिपेंडियरि मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट / उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
4. उस क्षेत्र का सब-डिवीजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
5. प्रशासक / सचिव के प्रशासक / विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीप)।
6. किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ओ.बी.सी-एन.सी.एल. प्रमाणपत्र का निर्धारित प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी* _____ पुत्र/पुत्री* श्री/श्रीमती* _____ गांव/शहर*_____जिला/मंडल*_____ राज्य_____में समुदाय_____ के अंतर्गत आता है, जिसे निम्नानुसार पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है:

(i) भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I संख्या-186 दिनांकित 13/09/93 में प्रकाशित संकल्प संख्या-12011/68/93-बीसीसी(सी) दिनांकित 10/09/93.

(ii) भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1 खंड-I संख्या-163 दिनांकित 20/10/94 में प्रकाशित संकल्प संख्या-12011/9/94-बीसीसी दिनांकित 19/10/94.

(iii) भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I संख्या-88 दिनांकित 25/05/95 में प्रकाशित संकल्प संख्या-12011/7/95-बीसीसी दिनांकित 24/05/95.

(iv) संकल्प संख्या-12011196/94-बीसीसी दिनांकित 9/03/96.

(v) भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-1 संख्या-210 दिनांकित 11/12/96 में प्रकाशित संकल्प संख्या-12011/44/96-बीसीसी दिनांकित 6/12/96.

(vi) संकल्प संख्या-12011/13/97-बीसीसी दिनांकित 03/12/97.

(vii) संकल्प संख्या-12011/99/94-बीसीसी दिनांकित 11/12/97.

(viii) संकल्प संख्या-12011/68/98-बीसीसी दिनांकित 27/10/99.

(ix) भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-1 संख्या-270 दिनांक 06/12/99 में प्रकाशित संकल्प संख्या-12011/88/98-बीसीसी दिनांकित 6/12/99.

(x) भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I संख्या-71 दिनांकित 04/04/2000 में प्रकाशित संकल्प संख्या-12011/36/99-बीसीसी दिनांकित 04/04/2000.

(xi) भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I संख्या-210 दिनांकित 21/09/2000 में प्रकाशित संकल्प संख्या-12011/44/99-बीसीसी दिनांकित 21/09/2000.

(xii) संकल्प संख्या-12015/9/2000-बीसीसी दिनांकित 06/09/2001.

(xiii) संकल्प संख्या-12011/1/2001-बीसीसी दिनांकित 19/06/2003.

(xiv) संकल्प संख्या 12011/4/2002-बीसीसी दिनांकित 13/01/2004.

(xv) भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I संख्या-210 दिनांकित 16/01/2006 में प्रकाशित संकल्प संख्या-12011/9/2004-बीसीसी दिनांकित 16/01/2006.

(xvi) भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I संख्या-67' दिनांकित 12/03/2007 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/14/2004-बीसीसी दिनांकित 12/03/2007.

(xvii) संकल्प संख्या 12015/2/2007-बीसीसी दिनांकित 18/08/2010.

(xviii) संकल्प संख्या 12015/13/2010-बीसीसी दिनांकित 08/12/2011.

श्री/श्रीमती/कु. और/अथवा उसका परिवार सामान्यतया राज्य के जिले/मंडल के निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के जी.एम. सं. 36012122/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08/09/93 जिसे कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004 स्था (रिस) दिनांक 09/03/2004, और आगे कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004-स्था. (रिस) दिनांक 14/10/2008 के माध्यम से संशोधित किया गया, की अनुसूची के कॉलम 3 में अथवा भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

दिनांकः

जिला मजिस्ट्रेट I
उपायुक्त / कोई अन्य
सक्षम प्राधिकारी

मोहर

---

* राज्य-वार ओबीसी की केंद्रीय सूची पर नवीनतम दिशानिर्देशों और अपडेट के लिए http://www.ncbc.nic.in पर जाएं।

**कृपया उन शब्द(शब्दों) को डिलीट कर दें जो लागू नहीं हैं।

*** जैसा कि अनुलग्नक में सूचीबद्ध है (फॉर्म-ओ.बी.सी-एन.सी.एल के लिए)

**** प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करने की आवश्यकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति को ओ.बी.सी के रूप में वर्णित किया गया है।

नोटः

क. यहाँ प्रयुक्त शब्द 'आमतौर पर रहता है' का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अपर मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / उप कलेक्टर / प्रथम श्रेणी के वजीफा मजिस्ट्रेट / उप-मंडल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अपर सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी के वजीफा मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो' और

(iv) उस क्षेत्र के सब-डिवीजनल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार रहता है

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रमाण पत्र का निर्धारित प्रारूप

..... सरकार

(प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र संख्या ---------- दिनांक ----------

---------- वर्ष के लिए मान्य

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी_____ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के डाकघर जिले के _____ गांव/गली _____ पिन कोड_____ के स्थायी निवासी हैं। जिसका फोटो नीचे साक्ष्यांकित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, क्योंकि उनके "परिवार"* की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) रुपये से कम है। उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी परिसंपत्ति उसकी अथवा उसके कब्जे में नहीं है***:

I. 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ जाति से संबंधित हैं जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

अधिकारी की मुहर सहित हस्ताक्षर _____

नाम _____ _____

पदनाम _____

आवेदक का हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो	**परिवारों की आय और संपत्ति का उल्लेख राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी, जो तहसीलदार के पद से नीचे स्तर का अधिकारी का न हो।**

*** टिप्पणी 1:** आय में सभी स्रोत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि शामिल हैं।

**** टिप्पणी 2:** इस उद्देश्य के लिए **"परिवार"** शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन और उसके पति अथवा पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं।

***** टिप्पणी 3:** विभिन्न लोकेशनों अथवा विभिन्न स्थानों/शहरों में एक **"परिवार"** द्वारा धारित संपत्ति (संपत्तियों) को ई.डब्ल्यू.एस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि अथवा संपत्ति धारण की जांच करते क्लब किया गया है।

शैक्षिक रियायत प्रमाण पत्र (ईसीसी) का निर्धारित प्रारूप

(लेटरहेड पर पूरा पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी सहित)

_____ का कार्यालय

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री _____ पुत्र/पुत्री_____, _____ के (सं.....) निवासी हैं।

उपर्युक्त नामित अधिकारी/जेसीओ/ अथवा _____:

प्राथमिकता-I

_____ के दौरान सैन्य कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएँ/बच्चे;

प्राथमिकता-II

_____ के दौरान कार्रवाई में और सैन्य सेवा के कारण दिव्यांगता के साथ सेवा से बाहर हो गए उनके वार्ड _____,

प्राथमिकता-III

रक्षा कार्मिकों जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई तथा सैन्य सेवा के कारण शहीद हो गए, उनकी विधवाएं / वार्ड।

प्राथमिकता-IV

रक्षा कार्मिक सेवा में अक्षम और सैन्य सेवा के कारण दिव्यांगता के कारण बोर्ड से बाहर हो गए।

प्राथमिकता-V

वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिस बलों के कर्मियों सहित सेवारत / भूतपूर्व सैनिक कर्मियों के बच्चे;

- **i.** परमवीर चक्र
- **ii.** अशोक चक्र
- **iii.** महावीर चक्र
- **iv.** कीर्ति चक्र
- **v.** वीर चक्र
- **vi.** शौर्य चक्र
- **vii.** वीरता के लिए राष्ट्रपति-पुलिस पदक / शौर्य के लिए राष्ट्रपति-अग्निशमन सेवा पदक
- **viii.** सेना, नौसेना, वायु सेना पदक
- **ix.** मेंशन-इन-डिस्पैच
- **x.** शौर्य के लिए पुलिस पदक/अग्निशमन सेवाओं के लिए शौर्य पदक/शौर्य के लिए अग्निशमन सेवा पदक।

प्राथमिकता-VI

भूतपूर्व सैनिकों के वार्ड

प्राथमिकता-VII

निम्नलिखित की पत्नी:

- **i.** रक्षा कार्मिक कार्रवाई में अक्षम और सेवा से बाहर हो गए।
- **ii.** रक्षा कार्मिक सेवा में अक्षम और सैन्य सेवा के कारण दिव्यांगता के साथ बोर्ड से बाहर हो गए।
- **iii.** वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिक और सेवारत कार्मिक।

प्राथमिकता-VIII

सेवारत कार्मिकों के वार्ड

प्राथमिकता-IX

सेवारत कार्मिकों की पत्नी

_____अधिकारी/जेसीओ/ओआर के पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/ सुश्री/मिस्टर _____ प्राथमिकता संख्या _____ के तहत सशस्त्र बलों की श्रेणी के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु शैक्षिक रियायत के लिए पात्र है

सं. _____ दिनांकः _____

मुहर <रबड़ मुहर> नाम एवं पदनाम सहित

(हस्ताक्षर)

बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण-पत्र वाले व्यक्तियों का निर्धारित प्रारूप

फार्म-II

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(अंगों के विच्छेदन अथवा पूर्ण स्थायी पक्षाघात के मामलों में और अंधेपन के मामलों में)

(प्रमाण-पत्र जारीकर्ता चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता))

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का साक्ष्यांकित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखा रहा है)

प्रमाणपत्र सं.: _____ दिनांकः

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पुत्र/पत्नी_____ जन्मतिथि (डीडी/एमएम/वाईवाई) _____ आयु वर्ष, पुरुष/महिला _____

पंजीकरण संख्या _____ मकान नं. _____ वार्ड/गांव/गली _____ डाकघर जिला

_____ राज्य _____, के स्थायी निवासी हैं। जिसका फोटोग्राफ ऊपर चिपका हुआ है, और मैं संतुष्ट हूँ किः

1. वह एक निम्नलिखित का मामला है:
   - क. लोकोमोटर दिव्यांगता
   - ख. अंधापन
   - (कृपया जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएँ)
2. उसके मामले में निदान _____ है।
3. दिशानिर्देशों के अनुसार (निर्दिष्ट किया जाना है) उसकी _____ (शरीर का हिस्सा) _____ % (आंकड़े में) प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक दुर्बलता/अंधापन है।
4. आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण-पत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर)

(उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमा-पत्र जारी किया गया है।)

चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रारूप

बीएससी शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल में प्रवेश के लिए

शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान विभाग

(अंतर-अनुशासनात्मक और अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय) दिल्ली विश्वविद्यालय,

सी/ओआईजीआईपीईएसएस, बी-ब्लॉक, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018.

वेबसाइटः www.dudpess.du.ac.in ईमेलः dudpess1@gmail.com

1. पाठ्यक्रम का नाम .....

2. नामः .....

3. आयु और लैंगिक.....

4. पिता का नाम .....

5. माता का नाम .....

6. पल्सः .....

7. बी.पी.: .....

8. वजनः .....

9. लम्बाईः .....

10. चेस्ट की परिधिः सामान्य और विस्तारितः .....

11. सीवीएसः ....

12. चेस्टः ....

13. पेटः ....

14. आँखः (i) कलर विजन ..... (ii) दृश्य तीक्ष्णता.....

(क) चश्मे के बिना ..... (ख) चश्मे के साथ .....

15. श्रीमान / सुश्री ..... की सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत परीक्षा के बाद

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के बीएस.सी (शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल) प्रोग्राम में प्रवेश हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा देने के लिए उपयुक्त है।

_____

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (तिथि सहित)

_____

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर (तिथि सहित)

(मुहर, पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर सहित)

(चिकित्सा अधिकारी के पास न्यूनतम एम.बी.बी.एस. डिग्री होनी चाहिए)